BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1270/2024

IN THE MATTER OF:

IMRAN ALI

…APPLICANT(s)

VERSUS

MOEF&CC & ORS.

…RESPONDENT(s)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.(s) 2 & 3 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 13.02.2025 PASSED BY THE HON’BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	A COPY OF REVENUE RECORDS OF *KHASRA NO.* 2181 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1**	
3.	A COPY OF REVENUE RECORDS OF 1377-1379 *FASLI* IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-2**	
4.	A COPY OF THE SECTION 38 OF THE U.P. REVENUE CODE, 2006 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-3**	
5.	A COPY OF THE REPORT SENT BY TEHSILDAR IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-4**	
6.	A COPY OF CASE STATUS IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-5**	
7.	A COPY OF ORDER DATED 09.12.2015 PASSED BY THE CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION),	

	BIJNOR IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-6**	
8.	A COPY OF THE ORDER DATED 28.04.2018 PASSED BY THE DISTRICT JUDGE, BIJNOR IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-7**	
9.	A COPY OF STATUS OF THE APPEAL BEFORE THE HON'BLE HIGH COURT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-8**	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
COUNSEL FOR THE RESPONDENT NO. 2 & 3
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE:17.05.2025
PLACE:BIJNOR

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 1270/2024

IN THE MATTER OF:
IMRAN ALI

...APPLICANT(s)

VERSUS

MOEF&CC & ORS.

...RESPONDENT(s)

REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.(s) 2 & 3 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 13.02.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, JASJIT KAUR, aged about 40 years, D/o Shri Parminder Singh, posted as District Magistrate, Bijnor, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, District Magistrate, Bijnor, Uttar Pradesh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

2. That in the present matter, the Applicant has made a complaint that the private Respondent No. 5 to 7 have unlawfully filled an old pond/water body situated at *Khasra No.* 2181, Kiratpur, Bijnor, Uttar Pradesh with garbage and other material and have encroached upon it.

3. That it is further alleged by the Applicant that Respondent No. 5 to 7, in connivance with Respondent No. 4, are carrying out illegal construction of a commercial marketplace/mall on the land, which is notified as a pond/water body in the revenue record. It has been alleged that on account of such activities, the pond has completely vanished.

4. That in light of the above allegations made by the Applicant, the Hon'ble Tribunal vide order dated 13.02.2025 directed as follows:

   "...5. A prayer for adjournment has been made on behalf of respondent nos. 2, 3 and 4 which is allowed. Let reply be filed by these respondents within four weeks..."

5. That it is humbly submitted before the Hon'ble Tribunal that with regards to the referred illegal construction of a commercial marketplace/mall at the *Khasra No.* 2181, the *Khasra No.* 2181/1, measuring 0.759 hectares,

NOTARY
Advocate Notary
S. Balwant Singh
Distt. H.Q. Bijnor
R. No. - 16797
2009
GOVT. OF (INDIA)

is recorded as a *Talab* (pond), and *Khasra No.* 2181/2, measuring 0.253 hectares, is recorded as *Pajaba*.

A copy of revenue records of *Khasra No.* 2181 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

6. That the disputed land i.e. *Khasra No.* 2181 is recorded as Talab (pond) and Pajaba in the base year *Khatauni* of 1359 *Fasli* (1952). The nature of the land was changed in the revenue records by an inadvertent error made in records by the officer at the time. The entry was made in the revenue records in the base year of 1377-1379 *Fasli* (Year 1970 to 1972). The nature of the land has been changed of *Khasra No.* 2181 in the revenue records.

   A copy of revenue records of 1377-1379 *Fasli* is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-2.**

7. That it is humbly submitted, the error made in the revenue records in the year 1377-1379 *Fasli* (Year 1970 to 1972) came to light to the revenue department in 2013 via a complaint filed by private individuals to the Chief Minister's Office (CMO). Through the complaint filed, it was requested that an investigation concerning irregularities in the records of

the pond and removal of encroachments from the said pond be carried out.

8. That as per the Section 38(2) of the U.P. Revenue Code, 2006, the Tehsildar is empowered to take such action or make enquiry as deemed necessary by the Tehsildar, upon the application or, as and when the Tehsildar becomes aware of it. The Section is as referred below:

   "…(2) On receiving an application under sub-section (1) or on any error or omission otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such inquiry as may appear to him to be necessary, and refer the case along with his report to the Collector in the case of map correction and the Sub-Divisional Officer in matter of other correction…"

   That in the present matter, the Tehsildar, upon the receiving of the complaint from the CMO in 2013, made the inquiry into the matter. During the inquiry, it was found by the Tehsildar that the entry made in the 1377-1379 *Fasli* (Year 1970 to 1972) is erroneous. Therefore, a report

was prepared by the Tehsildar and was sent to the SDM for further procedure and necessary actions.

"...अतः ग्राम किरतपुर (अन्दर हदूद) पर० किरतपुर तह० नजीबाबाद जि० बिजनौर की वर्तमान बतौनी के खसरा नम्बर 2181/1 रकबा 0.860हे० भूमि पर रमेशचंद पुत्र लल्लू मल व अक्षय गोयल पुत्र सुरेशचंद व राकेश कुमार पुत्र बशेषचंद व् चंद्रवती अत्नी लल्लू मल निवासी ग्राम व फर्म लल्लू मम व रमेशचंद द्वारा पार्टनर का नाम व खसरा नम्बर 2182/2 रकबा 0. 095हे० रमेशचंद पुत्र लल्लू मल व अक्षय गोयल पुत्र सुरेशचंद व राकेश कुमार पुत्र बशेषचंद व चंद्रवती पत्नी लल्लू मल निवासी ग्राम व फर्म लल्लू मल व रमेशचंद द्वारा पार्टनर का नाम व खसरा नम्बर 2182/2 रकबा 0.011हे० मिस्त्री मो० इस्माइल पुत्र मिस्त्री मो० इब्राहिम निवासी मौहल्ला अहमद खेल का नाम व 2182/2म रकबा 0.021हे० अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल समद निवासी ग्राम का नाम व खसरा नम्बर 2182/2 रकबा 0.020 हे मो० अली उर्फ मुन्ने पुत्र अब्दुला निवासी ग्राम का नाम व खसरा नम्बर 2182/2म रकबा 0.021 हे0 भूमि बुन्दू पुत्र वली मो० निवासी ग्राम का नाम निरस्त कर भूमि पूर्व की भॉति मूल श्रेणी में दर्ज किये जाने हेतु आख्या सादर प्रेषित हे।..."

A copy of the Section 38 of the U.P. Revenue Code, 2006 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-3**

A copy of the report sent by Tehsildar is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-4**

9. That under Section 38(3) of the U.P. Revenue Code, 2006, after conducting a proper inquiry and receiving the report from the Tehsildar regarding the disputed entries, the Sub-Divisional Officer (SDM) is empowered to decide the case and pass appropriate orders for correction

NOTARY GOVT. OF (INDIA) Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No. - 18/7/1 2008

of entries in the revenue records, including restoring the correct nature of land, if the earlier change was found to be erroneous or made without following due legal process.

"…(3) The case shall be decided by the Collector or the Sub-Divisional Officer, as the case may be, after considering any objection filed and evidence produced before him or before the Tahsildar…"

That after receiving of the report from the Tehsildar dated 25.11.2024, case no. 8749/2024 (computerized case no. T202413160508749) has been registered in the Court of SDM, Najibabad. The notices have been issued to the Respondents dated 27.11.2024 and the matter is pending before the SDM Court.

A copy of case status is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-5**

10. That a notice dated 13.08.2013 was issued by the Nagar Palika Parishad, Kiratpur, for removal of encroachment, Ramesh Chand Goyal and Suresh Chand Goyal filed ***Civil Suit No. 586/2013 Ramesh Chand Goyal & Ors. vs. State of U.P. through District Magistrate, Bijnor & Ors.*** **before the Court of Civil Judge (Senior Division), Bijnor.** The Hon'ble Court

NOTARY ★ GOVT. OF (INDIA) ★ Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No. - 18791 2033

in the aforementioned suit passed an order dated 09.12.2015 and granted a permanent injunction restraining any obstruction, demolition of shops, houses, etc., in the subject land (mentioned in Paragraph No. 4 of the referred order dated 09.12.2015).

A copy of order dated 09.12.2015 passed by the Civil Judge (Senior Division), Bijnor is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- 6**

11. That aggrieved by the order dated 09.12.2015 passed by the Civil Judge (Senior Division), Bijnor, **the Nagar Palika Parishad, Kiratpur filed** ***Civil Appeal No. 14/2018 Nagar Palika Parishad, Kiratpur & Ors. vs. Ramesh Chand Goyal & Ors.*** **before the District Judge**, Bijnor, which was dismissed via order dated 28.04.2018 by the Hon'ble Court.

A copy of the order dated 28.04.2018 passed by the District Judge, Bijnor is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- 7**

12. That against this, **the Nagar Palika Parishad, Kiratpur preferred** ***Second Appeal No. 330/2020 Nagar Palika Parishad, Kiratpur & Ors. vs. Ramesh Chand Goyal & Ors***. before the Hon'ble High Court, Allahabad, which is currently pending adjudication before the Hon'ble Court.

NOTARY ★ GOVT. OF INDIA ★ Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No. 2880

A copy of status of the Appeal before the Hon'ble High Court is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- 8**

13. That it is respectfully submitted before the Hon'ble Tribunal that no NOC has ever been issued by the Deponent in respect of the construction of the commercial marketplace/mall situated at *Khasra No. 2181*. It is further submitted that the matter is presently sub- judice before the Hon'ble High Court.

14. That the Deponent, with due deference and utmost respect to the authority of this Hon'ble Tribunal, undertakes to ensure full compliance with any directions or orders that may be passed by this Hon'ble Tribunal

15. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

16. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT
जिलाधिकारी
बिजनौर

NOTARY
Advocate Notary
S. Balwant Singh
Distt. H.Q. Bijnor
R. No. - 1871/11
2008
GOVT. OF (INDIA)

VERIFICATION

Verified at BIJNOR on this 16th day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 16 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

जिलाधिकारी
बिजनौर

NOTARY ★ GOVT. OF (INDIA) ★ Advocate Notary S. Balwant Singh Distt. H.Q. Bijnor R. No. - 19799 2000

Sworn before me on this 16 day of 05 2025
by Jasprit Kaur
who has been identified by D. P. Kaur Adv.
who is personally known to me.............................
whose signature (S) is/are here it appended.

Dilpreet Kaur
ADVOCATE
Regn No 11044/13
Collectorate BIJNOR

16/5/25
S. Balwant Singh, Advocate
NOTARY
BIJNOR (U.P.)

ANNEXURE-1

[illegible] 1359 [illegible]

	२ साल	२४६७	[illegible]
	२ साल	२४६८	[illegible]
	२ साल	२४६९	[illegible]
	२ साल	२६०८	[illegible]
योग		६	[illegible]
[illegible]		२	[illegible]
२. [illegible]			
(क) [illegible]			
(ख) [illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
२० [illegible]		२१०८	[illegible]
		२१८२	[illegible]
		२२०१	[illegible]
		२२३६	[illegible]
		२६१४	[illegible]
		३३२९	[illegible]
		३३३२	[illegible]
योग		४	[illegible]

	योग	१२	[illegible]
३४	नाली	२२४१	५२
		२२६६	[illegible]
	योग	२	[illegible]
	[illegible]	१५	[illegible]
	[illegible]		
३५	आबादी	२१२४	[illegible]
		२२६१	५२
		२२०८	५२
		२२३२	[illegible]
		२४१६	[illegible]
		२६२०	[illegible]
	योग	४	[illegible]
३६	धर्मशाला	२५२२	[illegible]
		२५३०	[illegible]
		२५३१	५१
		२५३२	[illegible]
		४	[illegible]

प्रतिलिपि [illegible] कलेक्टर बिजनौर

[illegible] प्रेस, [illegible]

२८	लाल अहमद रंगरेज	२५ वैशा २६.३०	५८	१५८			६. बाग [illegible]		
	भारतालाल रेवा सा०						(ग) काला		
	किरतपुर					३१	बाग	२१२३	५३
								२४८५	५
								२४०६	॥५
								२४२६/४	॥५
	६६ - [illegible]		नकलदार				बागर		
						३२	बाग	२१८०	॥५
	[illegible] ९६		२	५			यार्ड [illegible] ९६		[illegible]
(अ)	१,२,३,१०,११								
(ब)	[illegible]						४५ - [illegible]		
						३३	तालाब	२१२६	१५२
(ज)	[illegible]							२४८१/२	३५
								२२३३	५२
								२२८०	५६
	[illegible]							२५२२	॥५
	१४ - [illegible]							२५३३	५
	[illegible]							२६१५	५२
								२२८०	॥५
	परती कदीम मासाली	२ साल	२५८०	॥५२				२३८०	५२
	स्थान	२ साल	२५८८	५२				२२८१	५
		२ साल	२५८९	॥५२				२३८९	५१
		२ साल	२५८५	५२				२३८४	॥५२
		२ साल	२५८६	५२					

२ साल	२५८७	५		मोजा	१२	२५७
२ साल	२५८८	५				
२ साल	२५८८	५				
२ साल	२६०४	॥५	२५८/३४	नाला	२२४१	५२

	योग	२	२५३६

	योग पृष्ठ १४-२			योग पृष्ठ १५	
४०	क़ब्रिस्तान	२५२६ २	७५२	योग खेवट न० २	५
४१	पंजाबा	२१३६	४५	खाता खेवट न० ३ ... व मुताबिक़ ... २ ... शामिल हुवा	
		२५८१ ३	५		
	योग	२	५०	मालिकान	
४२	गोहरा	२१२५	१५	मोहम्मद इस्लाम खां ... खेवट न० ५	
		२२०५	१७	४४ अब्दुल नईम खां पुत्र ...	२१ २२
		२२०६	५	रजब अली ...	
	योग	३	३७	पठान ... बसी	
	योग पृष्ठ १४-४	५		२- ...	
	... योग १४	४३		...	
	योग पृष्ठ १४, १५	४८		...	
	योग ...	४८३		...	२

प्रतिलिपि
प्रतिलिपि अधिकारी
... अभिलेख कक्ष
... कलेक्ट्रेट, बिजनौर
प्रतिलिपि विभाग
कलेक्टर बिजनौर

ग्राम - किरतपुर परगना- किरतपुर जिला बिजनौर 1359 फसली किरतपुर २७७५

1359 फसली वर्ष

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
२७७८	११७४	चाहानात सं. २३		[illegible]						गोजई		११४								
२७७९	११११	" ६१	[illegible]	सीताराम, शारदा रत्नाराज						जौ		२॥।								
२७८०	७७३	" ६	२२															बागदारी	७७३	
२७८१/१	३२	"	३२															तालाब	३५	
२७८१/२	३५	"	[illegible]															पक्का	३५	
२७८२/१	५:६	" ५४	[illegible]															स्थान पारा	५:६	
२७८२/२	७४:१८	"	[illegible]															दीमक वर्क	६६१:१५	
२७८३	७३	" ४४	[illegible]															सड़क पुख्ता	७३	
२७८४	३५	"	[illegible]			टमाटर व्यारथी	५४		७१									कब्रगाह सिल्वर मदरसा	[illegible]	
२७८५	२५८	" २५	[illegible]	नन्हे सिंह		तिपाड़			२५४									तालाब	[illegible]	
२७८६	७७१	" ६	[illegible]															[illegible]		

सत्य प्रतिलिपि
A Kumar
[illegible]

ANNEXURE-2

नकल बस्ता खतौनी, सन् फ. 1377 से 1379, मौजा कस्बा किरतपुर, परगना किरतपुर

श्रेणी 2, भूमि जो सीरदारों के अधिकार में है।

[illegible]	[illegible] पुत्र गुलाम अली खाँ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	
	नि॰ ग्राम						
160	सत्य प्रकाश पुत्र [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			13000/-
	नि॰ ग्राम		[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]	36	[illegible]	[illegible] 7-7-72 [illegible] 14/8/73
164	सफदर अली खाँ पुत्र गुलाम अली	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
	खाँ नि॰ ग्राम मौ॰ अफगानान		[illegible]	[illegible]			
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
162	सनाउल्ला उर्फ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	नि॰ ग्राम						

प्रार्थना पत्र का नं॰ 143

प्रार्थी का नाम वीरेन्द्र कुमार [illegible]

प्रार्थना पत्र का दिनांक 28/01/26

[illegible] का दिनांक 29/01/26

प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक 29/01/26

स्टाम्प [illegible] 05/-

[illegible] की संख्या 100 2

कॉपीस्ट

सत्य प्रतिलिपि

प्रतिलिपि अधिकारी

प्रतिलिपि विभाग कलेक्टर [illegible] राजस्व [illegible]

कोर्ट फी, COURT FEE, भारत, INDIA, 5 रु., Rs. 5, पाँच रुपये, FIVE RUPEES

ANNEXURE-3

(2) Any person aggrieved by an order of the Tahsildar under sub-section (1) may prefer an appeal to the Sub-Divisional Officer within a period of thirty days from the date of such order.

36 **Intimation of transfer and deposit of land revenue.-**(1) Notwithstanding anything contained in section 34, where any document purporting to create, assign or extinguish any title to or any charge on land or in respect of which a record of rights (Khatauni) is prepared, is registered under the **Registration Act, 1908** the registering authority shall send intimation to the Tahsildar within whose jurisdiction such land is situate in such form and within such time, as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything contained in this Chapter, no order for correction of records under section 32 and no order for recording succession under section 33 and no amendment of record of rights (khatauni) under section 35 and no correction under section 38 shall be recorded, unless the amount of land revenue due up-to-date in respect of the land to which such order relates has been deposited.

37 **Bar against certain suits.-**No suit or other proceeding shall lie in any revenue court at the instance of any person obtaining possession of any land by succession or transfer, until he has made a report under section 33 or section 34, as the case may be.

38 **Correction of error and omission.-** (1) An application for correction of any error or omission in the map, filed-book (Khasra) or record of rights (Khatauni) shall be made to the Tahsildar in the manner prescribed.

(2) **On receiving an application under sub-section (1) or on any error or omission otherwise coming to his knowledge, the Tahsildar shall make such inquiry as may appear to him to be necessary, and refer the case along with his report to the Collector in the case of map correction and the Sub-Divisional Officer in matter of other correction.**

(3) **The case shall be decided by the Collector or the Sub-Divisional Officer, as the case may be, after considering any objection filed and evidence produced before him or before the Tahsildar.**

(4) Any person aggrieved by an order of the Collector or the Sub-Divisional Officer, as the case may be, under sub-section (3), may prefer an appeal to the Commissioner within a period of thirty days from the date of such order, and the decision of the Commissioner shall be final.

(5) Any forged or manipulated entry in the map, the khasra or the record of rights (khatauni) may be expunged under this section.

(6) Notwithstanding anything contained in other provisions of this Code, the Revenue Inspector may correct any undisputed error or omission in the record of rights (khatauni) or *khasra* in such manner and after making such inquiry, as may be prescribed.

Explanation. - The power to correct any error or omission under this section shall not be construed to include the power to decide a dispute involving question of title.

39 **Certain orders of revenue officers not to debar a suit.**-No order passed by a Revenue Inspector under section 33, or by a Tahsildar under sub-section (1) of section 35 or by a Sub-Divisional Officer under sub-section (3) of section 38 or by a Commissioner under **sub-section (4) of section 38** shall debar any person from establishing his rights to the land by means of a suit under section 144.

40 **Presumption as to entries.**- All entries **in the record of rights (Khatauni)** prepared in accordance with the provisions of this Code shall be presumed to be true, until the contrary is proved.

41 **Kisan Bahi.** - (1) Every time when a record of rights (Khatauni) is prepared under this Chapter, the Collector shall as soon as may be, cause to be supplied to every tenure-holder, a Kisan Bahi containing such particulars as may be prescribed.

(2) The Kisan Bahi shall be a consolidated pass-book for all the holdings held by a tenure-holder in the district.

(3) In the case of a joint holding, it shall be sufficient for the purpose of this section if Kisan Bahi is supplied only to such one or more of the recorded co-tenure holders as may apply for it.

ANNEXURE-4

य,

ग्राम किरतपुर (अन्दर हद्द) पर० किरतपुर तह० नजीबाबाद जि० बिजनौर की वर्तमान खतौनी के अनुसार खसरा नम्बर 2181/1 रकबा 0.860हे० भूमि पर रमेशचंद पुत्र लल्लू मल व् अक्षय गोयल पुत्र सुरेशचंद व् राकेश कुमार पुत्र बसेषचंद व् चंद्रवती पत्नी लल्लू मल निवासी ग्राम व् फर्म लल्लू मल व रमेशचंद द्वारा पार्टनर के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2181अ रकबा 0.142हे० भूमि सड़क पुख्ता के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2182/3/म रकबा 0.021हे० भूमि बुन्दू पुत्र वली मो० निवासी ग्राम के नाम व 2182/2म रकबा 0.021हे० अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल समद निवासी ग्राम के नाम व खसरा नम्बर 2182/2 रकबा 0.020हे० मो० अली उर्फ मुन्ने पुत्र अब्दुला निवासी ग्राम के नाम व खसरा नम्बर 2182/2 रकबा 0.095हे० रमेशचंद पुत्र लल्लू मल व् अक्षय गोयल पुत्र सुरेशचंद व् राकेश कुमार पुत्र बसेषचंद व् चंद्रवती पत्नी लल्लू मल निवासी ग्राम व् फर्म लल्लू मल व रमेशचंद द्वारा पार्टनर के नाम व खसरा नम्बर 2182/2 रकबा 0.011हे० मिस्त्री मो० इस्माइल पुत्र मिस्त्री मो० इब्राहिम निवासी मौहल्ला अहमद खेल के नाम व खसरा नम्बर 2182म रकबा 0.107हे० सड़क पुख्ता के नाम दर्ज है उक्त खसरा नम्बरों की वर्ष 1359 फसली की खतौनी का मुआयना किया गया उक्त मुआयने में पाया गया कि खसरा नम्बर 2181/1 रकबा 0.759हे० तालाब भूमि के रूप में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2181/2 रकबा 0.253हे० पंजाबा के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2182/2 रकबा 0.275हे० भूमि बंजर भूमि के रूप में दर्ज है वर्ष 1359 फसली की खतौनी में उक्त खसरा नम्बर 2181/1 तालाब 2181/2 पंजाबा के नाम तथा 2182/2 बंजर भूमि के रूप में दर्ज थी उक्त तीनो खसरा नम्बर वर्तमान खतौनी में श्रेणी 1क सं०भू० व सड़क पुख्ता के नाम किस आधार पर दर्ज हुए है इस हेतु राजस्व अभिलेख कक्ष बिजनौर में सम्बंधित अभिलेखों का निरीक्षण किया गया जिसमे फसली वर्ष 1377 से 1379 की खतौनी में खाता संख्या 160 पर खसरा संख्या 2181 व 2182 पर सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त का नाम दर्ज है परन्तु खाते से सम्बंधित श्रेणी फटी हुई है जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि उक्त खातेदार का नाम किस श्रेणी में दर्ज है इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेख कम्प्युटरराईजेशन से पूर्व का ऐसा कोई आदेश/प्रमाण अभिलेखों के क्षतिग्रस्त होने के कारण नहीं मिल सका है जिससे यह स्पष्ट हो सके की उक्त खातेदारों के नाम किस आधार पर अभिलेखों में दर्ज हुए जिससे यह प्रतीत होता है की उक्त प्रविष्टी फर्जी प्रविष्टी है।

शासनादेश संख्या 3135/1-2-2001-रा० दिनांक 08/10/2001 एवं परिषदादेश संख्या-जी०-865/519/2001 दिनांक 24/01/2002 में भी यह आदेशित किया गया है कि सार्वजानिक उपयोग की भूमि की श्रेणी परिवर्तित नहीं की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल 2187/2001 में हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य सिविल अपील संख्या 1132/2011 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 38910/2013 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डी०डी०सी० देवरिया व अन्य में पारित आदेश के क्रम में तालाब/पोखर/पोंला तथा अन्य जल प्रणालियां इत्यादि की भूमि के स्वरुप को परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

Case wri-C No 10334of 2012 Petitioner- Dinannath Respondent Commissioner Aligarh Division And Others Orders Date 27-02-2012 में कहा गया है कि In View Of The Above The Orders Dated 25-08-2011 And 21-10-2011 Can Not Be Sustained And Are Quashed. Parties Are Ser At Liberty Tio Establish The Nature Of The Land And If It Is Found To Be Land Covered Under Section 132 Of The Act Steps Be Taken For The Eviction Of The Petitioners In Accordance With Law In Case In Such Proceedings Are Drawn. It Will Be Ope For The Petitioners To Establish That They Are Not Occupying The Land Off Puplic Utility As Mentioned Under Section 132 Of The Act.

अतः ग्राम किरतपुर (अन्दर हद्द) पर० किरतपुर तह० नजीबाबाद जि० बिजनौर की वर्तमान खतौनी के खसरा नम्बर 2181/1 रकबा 0.860हे० भूमि पर रमेशचंद पुत्र लल्लू मल व् अक्षय गोयल पुत्र सुरेशचंद व् राकेश कुमार पुत्र बसेषचंद व् चंद्रवती पत्नी लल्लू मल निवासी ग्राम व् फर्म लल्लू मल व रमेशचंद द्वारा पार्टनर का नाम व खसरा नम्बर 2182/2 रकबा 0.095हे० रमेशचंद पुत्र लल्लू मल व् अक्षय गोयल पुत्र सुरेशचंद व् राकेश कुमार पुत्र बसेषचंद व् चंद्रवती पत्नी लल्लू मल निवासी ग्राम व् फर्म लल्लू मल व रमेशचंद द्वारा पार्टनर का नाम व खसरा नम्बर 2182/2 रकबा 0.011हे० मिस्त्री मो० इस्माइल पुत्र मिस्त्री मो० इब्राहिम निवासी मौहल्ला अहमद खेल का नाम व 2182/2म रकबा 0.021हे० अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल समद निवासी ग्राम का नाम व खसरा नम्बर 2182/2 रकबा 0.020हे० मो० अली उर्फ मुन्ने पुत्र अब्दुला निवासी ग्राम का नाम व खसरा नम्बर 2182/3/म रकबा 0.021हे० भूमि बुन्दू पुत्र वली मो० निवासी ग्राम का नाम निरस्त कर भूमि पूर्व की भाँति मूल श्रेणी में दर्ज किये जाने हेतु आख्या सादर प्रेषित है।

23/11/024 कुमार लेखपाल नजीबाबाद

23/11/24

23/11/2024

25/11/2024

Scanned with CamScanner

वाद का सारांश

ANNEXURE-5

प्रिंट निकाले

मण्डल: - मुरादाबाद जनपद: - बिजनौर तहसील: - नजीबाबाद न्यायालय: - उपजिलाधिकारी

वाद सं०:	8749/2024	**कंप्यूटरीकृत वाद सं०:**	T202413160508749
वादी / प्रतिवादी के नाम एवम पता:	नगर पालिका परिषद किरतपुर , - **बनाम** रमेशचन्द आदि , निवासीगण मौ० अहमद खेल, किरतपुर तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर	**वाद की स्थिति:**	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
वाद प्रकृति:	मूल वाद	**दाखिल करने का दिनांक:**	25-Nov-2024
अगला सुनवाई दिनांक:	13-May-2025	**अधिनियम, धारा:**	उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , 38(2)
गॉंव और परगने का नाम:	**गॉंव:- , परगने का नाम:-** किरतपुर (अन्दर हद्दूद)		

वादग्रस्त भूमि का विवरण

क्र सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	खतौनी खाता संख्या	गाटा संख्या	गाटा यूनिक कोड	क्षेत्रफल
1	बिजनौर	नजीबाबाद	किरतपुर	किरतपुर (अन्दर हद्दूद)	00165	2181/1	216926-2181-100112	0.8600
2	बिजनौर	नजीबाबाद	किरतपुर	किरतपुर (अन्दर हद्दूद)	00165	2182/2	216926-2182-000112	0.0950
3	बिजनौर	नजीबाबाद	किरतपुर	किरतपुर (अन्दर हद्दूद)	00122	2182/2	216926-2182-100212	0.0110
4	बिजनौर	नजीबाबाद	किरतपुर	किरतपुर (अन्दर हद्दूद)	00136	2182/2	216926-2182-000012	0.0200
5	बिजनौर	नजीबाबाद	किरतपुर	किरतपुर (अन्दर हद्दूद)	00112	2182/3/म	216926-5218-200212	0.0210

आर्डर शीट का विवरण

क्र सं0	पिछली सुनवाई तिथि	पिछली नियत कार्यवाही	अगली सुनवाई तिथि	अगली नियत कार्यवाही
1	----	----	03/12/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
2	03/12/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	07/12/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
3	07/12/2024	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	01/01/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
4	01/01/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	10/01/2025	प्रतिवाद पत्र
5	10/01/2025	प्रतिवाद पत्र	21/01/2025	प्रतिवाद पत्र
6	21/01/2025	प्रतिवाद पत्र	28/01/2025	प्रतिवाद पत्र
7	28/01/2025	प्रतिवाद पत्र	11/02/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
8	11/02/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	13/02/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
9	13/02/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	27/02/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
10	27/02/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	19/03/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
11	19/03/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	03/04/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
12	03/04/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	17/04/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
13	17/04/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	29/04/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला
14	29/04/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला	13/05/2025	प्रतीक्षा नोटिस तामीला

Disclaimer : उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है , इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।

ANNEXURE-6

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर

(1)

मूलवाद सं0 586 सन् 2013

1. रमेश चन्द्र गोयलआयु लगभग 76 वर्ष पुत्र
2. सुरेश चन्द्र गोयल आयु लगभग 62 वर्ष पुत्र } स्व0 लल्लूमल

निवासीगण मौ0 माहजनान, कस्बा व पर0 किरतपुर, वादी नं0 1 हाल निवासी द्वारा डा0 संदीप गोयल, एस0डी0पुरम, किरतपुर रोड, कस्बा, पर0 व तह0 बिजनौर एवं वादी नं0 2 हाल निवासी श्री कृष्णा बैंक्ट हॉल, मौ0 हसनपुरा, निकट बस स्टैण्ड, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

... वादीगण

वनाम

1. राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी, बिजनौर।
2. तहसीलदार, नजीबाबाद, जिला बिजनौर।
3. नगर पालिका परिषद, किरतपुर द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, किरतपुर, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किरतपुर, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

... प्रतिवादीगण

5. राकेश कुमार गोयल आयु लगभग 54 वर्ष पुत्र श्री बशेषचन्द्र गोयल, निवासी मौ0 माहजनान, हाल निवासी मौ0 हसनपुरा, निकट बस स्टैण्ड, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

...तरतीबी प्रतिवादी

<u>उपरोक्त वादीगण निम्नलिखित निवेदन करते हैं :–</u>

1. यह कि आराजी भूमिधरी खसरा नं0 2181/1 व 2 रकबई 3 बीघे 8 बिस्वे पुख्ता व खसरा नं0 2182/2 रकबई 7 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता, कुल रकबई 3 बीघे 15 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता, स्थित ग्राम किरतपुर (अब मौ0 हसनपुरा), कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर के वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 एवं स्व0 श्रीमती चन्द्रावती पत्नि स्व0 श्री लल्लूमल बहैसियत साझेदार फर्म लल्लूमल रमेशचन्द्र किरतपुर, पंजीकृत विक्रय पत्र दि0 28.03.1974 इकरारी सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र कृष्णदत्त शर्मा से स्वामी व अधिपति रहे हैं।

(48)

2. यह कि ख0 नं0 2181/1 व 2 एवं ख0 नं0 2182/2 सम्मिलित इकजाई भूमि है। जिनकी इकजाई सीमाऐं वाद पत्र के अन्त में तालिका (अ) में दी गई है।

3. यह कि उपरोक्त खसरा नम्बरान की मालिक फर्म लल्लूमल रमेश चन्द्र किरतपुर की साझेदार श्रीमती चन्द्रावली का 9 मई सन् 1989 में देहान्त हो गया।

4. यह कि उपरोक्त खसरा नम्बरान वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 को क्रय करने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 एवं श्रीमती चन्द्रावती के नामों का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में हो गया।

5. यह कि यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त खसरा नं0 2181/1 व 2 व खसरा नं0 2182/2 पर सत्यप्रकाश शर्मा बहैसियत सीरदार काबिज चले आते थे और उक्त सत्यप्रकाश शर्मा ने उपरोक्त खसरा नम्बरान में भूमिधरी के अधिकार 20 गुना लगान अदा करके दि0 18.09.1970 को प्राप्त कर लिये, जिसका इन्द्रज खतौनी वर्ष 1970–79 फसली में हो गया।

6. यह कि उक्त सत्यप्रकाश के खसरा नं0 2181 व खसरा नं0 2182 का क्रमश ~~7 बीघे एवं 7~~ बिस्वे 10 बिस्वांसी पुख्ता रकबा राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा अधिग्रहित किया गया। जिसका मुआवजा भी राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा दि0 20.06.1970 को सत्यप्रकाश शर्मा को मालिक व काबिज मानते हुये व स्वीकार कर नियमानुसार पंचाट के जरिये अदा किया गया।

7. यह कि प्रतिवादी नं0 2 राज्य सरकार उ0प्र0 का अधिकारी/कर्मचारी है और प्रतिवादी नं0 1 प्रतिवादी नं0 2 के हर कृत्य व अपकृत्य के लिए Vicariously Liable है।

8. यह कि प्रतिवादी नं0 4, प्रतिवादी नं0 3 जो कस्बा, किरतपुर का स्थानीय निकाय है, का अधिकारी/कर्मचारी है और प्रतिवादी नं0 4 भी अपने अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हर कृत्य व अपकृत्यों के लिए Vicariously Liable है।

9. यह कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 5 की उपरोक्त आराजी भूमिधरी प्रतिवादी नं0 3 की सीमाओं के अन्दर है और आबादी क्षेत्र में आ चुकी है।

49

(3)

10. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 ने समय–2 पर अधिकारपूर्वक बहैसियत स्वामि के उपरोक्त खसरा नम्बरान पर दुकान आदि का निर्माण कराकर अपना अध्यासन स्थापित कर रखा हैं तथा वादीगण ने प्रतिवादी नं0 3 से नियमानुसार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करके हाल ही में और दुकानात का निर्माण कराया है। इस प्रकार प्रतिवादी नं0 3 व 4 उपरोक्त आराजी भूमिधरी को वादीगण के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि होना मानते देखते एवं स्वीकार करते चले आऐ हैं।

11. यह कि उपरोक्त आराजी भूमिधरी वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 पर वनी दुकानात व अन्य आबादी पर प्रतिवादी नं0 3 ने गृहकर भी आरोपित कर रखा है, जो वादीगण के नाम से प्रतिवादी नं0 3 की मांग पंजिका में दर्ज है और वादीगण प्रतिवादी नं0 3 व 4 को नियमानुसार गृहकर अदा करके रसीदें प्राप्त करते चले आ रहे हैं।

12. यह कि वादीगण की उपरोक्त आराजी भूमिधरी खसरा नम्बर 2181/1 व 2 एवं खसरा नं0 2182/2 से वादीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध या सरोकार नहीं है।

13. यह कि प्रवितादी नं0 4 ने वादीगण को दि0 13.08.2013 का पत्रांक 285/न0 पा0 परि0, किरतपुर, 2013–14 भेजा जो वादीगण को दि0 19.08. 2013 को प्राप्त हुआ।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 सन् 2013
रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि

14. यह कि प्रतिवादी सं0 4 ने उक्त नोटिस में वादीगण के खसरा नं0 2181 को तालाब की भूमि बताते हुये, प्रतिवादी नं0 2 के पत्रांक 54/ न0 न0, दि0 30.07.2013 के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 एवं वादीगण की माता जी स्व0 श्रीमती चन्द्रावती द्वारा कब्जा कर लेना बताते हुये एक माह के भीतर कब्जा हटाने को कहकर, उसके उपरान्त तहसील/पालिका द्वारा तालाब से कब्जा हटवाने की धमकी दी गई।

15. यह कि वादीगण के खसरा नं0 2181/1 व 2 व 2182/2 में कभी भी तालाब कभी नहीं रहा है और ना है और ना ही उपरोक्त खसरा नम्बरान

निरन्तर ..... 4 पर

(4)

वादीगण का राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक तालाब के तौर पर इन्द्राज रहा है।

16. यह कि प्रतिवादी नं0 3 द्वारा दिया गया नोटिस दि0 30.08.2013 अवैध, अनाधिकृत मनमाना एवं अस्पष्ट एवं भ्रामक है और उक्त नोटिस दिये जाने से पूर्व प्रतिवादी नं0 3 व 4 ने वादीगण को अथवा प्रतिवादी नं0 5 को कोई सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखनें का कोई अवसर नहीं दिया और ना ही प्रतिवादी नं0 2 द्वारा प्रतिवादी नं0 3 व 4 को पत्र दि0 30.07.2013 लिखे जाने से पूर्व वादीगण व प्रतिवादी नं0 5 को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान किया और प्रतिवादीगण का वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 का कब्जा हटवाये जाने का नोटिस एवं धमकी पूर्ण रूप से एकपक्षीय एवं शून्य कार्यवाही है। किन्तु यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त पत्र दि0 30.07.2013 एवं नोटिस दि0 13.08.2013 के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 के निर्माण को ध्वस्त करके अथवा अन्य किसी रीति से वादीगण के शान्ति प्रिय अध्यासन को हटाने में सफल हो गये, तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

17. यह कि यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 में वादीगण की कुल 17 दुकानात बनी हैं तथा प्रवितादी नं0 5 की कुल 21 दुकानात व बैंक का भवन व प्रतिवादी नं0 5 का निवास स्थान है और सभी दुकानात में किरायेदार काबिज हैं और प्रतिवादीगण द्वारा दिये गये नोटिस दि0 13.08.2013 में वांछित अपकृत्य कर दिये जाने के फलस्वरूप सभी किरायेदार, बैंक एवं निवास स्थान के भवन दुकानात ध्वस्त कर दिये जाने की दशा में ना केवल वादीगण की हानि होगी, बल्कि सार्वजनिक संस्था बैंक की भी अपूर्णीय क्षति होगी।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर मुकदमा सं0 सन् 2013 योगेश चन्द्र गोयल आदि बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि

18. यह कि वादीगण, प्रतिवादी नं0 2 एवं 3 के अध्यक्ष एवं प्रतिवादी नं0 4 से उक्त नोटिस आने के उपरान्त मिले और उक्त नोटिस के आधार पर कार्यवाही ना करने के लिए मौखिक रूप से निवेदन किया। किन्तु प्रतिवादी नं0 2 ता 4 ने वादीगण को कोई आश्वासन कार्यवाही ना करने का नहीं दिया और ना ही वादीगण कोई सुनवाई की। इस कारणवश वादीगण के पास न्यायालय की शरण में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है। अतः वादीगण न्यायालय की शरण में आये हैं।

निरन्तर ..... 5 पर

19. यह कि वादीगण का वांछित अनुतोष त्वरित प्रकृति का है और यदि प्रतिवादी सं0 1 व 2 को धारा 80 (1) सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत 2 माह का नोटिस दिया गया और उसकी अवधि व्यतीत होने की प्रतीक्षा की गई और इस मध्य प्रतिवादीगण ने वादीगण के शान्ति प्रिय अध्यासन में व्यवधान करते हुये वादीगण के अध्यासन को हटाने का अनुचित प्रयास किया और उसमें सफल हो गये तो वादीगण का वाद योजित करने का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। इस कारणवश वादीगण प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरूद्ध धारा–80 (1) सी0 पी0 सी0 के अन्तर्गत वाद योजित करने की अनुमति प्राप्त करने के साथ वाद योजित कर रहे हैं।

20. यह कि वादीगण का वांछित अनुतोष त्वरित प्रकृति का है और यदि प्रतिवादी सं0 3 व 4 को धारा 326 (1) नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत 2 माह का नोटिस दिया गया और उसकी अवधि व्यतीत होने की प्रतीक्षा की गई और इस मध्य प्रतिवादीगण ने वादीगण के शान्ति प्रिय अध्यासन में व्यवधान करते हुये वादीगण के अध्यासन को हटाने का अनुचित प्रयास किया और उसमें सफल हो गये तो वादीगण का वाद योजित करने का उद्देश्य समाप्त हो जायेगा। इस कारणवश वादीगण प्रतिवादीगण 3 व 4 के विरूद्ध धारा–326 (4) नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत वाद योजित कर रहे हैं।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद सं0 सन् 2013
रमेश चन्द्र गोयल आदि बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि

21. यह कि प्रतिवादी नं0 5 बाहर है और उसको बहैसियत वादी पक्षकार बनाया जाना सम्भव नहीं है। दावा तुरन्त दायर किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस कारणवश प्रतिवादी नं0 5 को बहैसियत तरतीबी प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाता है।

22. यह कि वाद की धनराशी अधिकार न्यायालय एवं न्याय शुल्क के लिए अंकन 4,00,000/–रू0 पर बाबत अनुतोष (अ) निर्धारित है और न्याय शुल्क अनुतोष (अ) की धनराशी के 1/5 भाग पर निश्चित अदा किया जाता है।

23. यह कि वादीगण प्रार्थी हैं कि :–

(अ). यह कि स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 4 इस आशय के साथ जारी फरमाई जाये कि प्रविताादीगण 1 ता 4 वादीगण की आराजी भूमिधरी ख0

Rameshchand Goel

निरन्तर ..... 6 पर

(52)

(6)

नं0 2181/1 व 2 रकबई 3 बीघे 8 बिस्वांसी पुख्ता व ख0 नं0 2182/2 रकबई 7 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता कुल रकबई 3 बीघे 15 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता जिनकी इकजाई सीमाऐं वादपत्र के अन्त में तालिका (अ) में दी गई हैं, स्थित ग्राम किरतपुर (अब मौ0 हसनपुरा), निकट बस स्टैण्ट, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर, नगर पालिका परिषद, किरतपुर के अन्दर, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर में वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 के स्वामित्व एवं अधिपत्य में कोई विघ्न अथवा वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 की दुकानात, मकानात आदि को तोड़ या तुड़वाकर या अन्य किसी भी रीति से स्वयं या अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों या ऐजन्ट द्वारा उत्पन्न ना करें, ना करावें।

(ब). यह कि व्यय वाद वादीगण को प्रतिवादी नं0 1 ता 4 से दिलाया जाये।

(स). यह कि अन्य अनुतोष, जो वादीगण के अनुकूल हो, विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 ता 4, प्रदान किया जाये।

न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), बिजनौर
मूलवाद नं0 सन 2015
रमेश चन्द्रगोयल आदि बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 आदि

तालिका (अ)

<u>सीमा आराजी भूमिधरी वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 ख0 नं0 2181/1 व 2 एवं ख0 नं0 2182/2, स्थित ग्राम किरतपुर, (हाल मौ0 हसनपुरा), निकट बस स्टैण्ड, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।</u>

पूरब — मार्किट व श्री कृष्णा बैंकट हॉल वादीगण
पश्चिम — सड़क पी0 डब्लू0डी0
दक्षिण — कब्रिस्तान ख0 नं0 2146
उत्तर — सड़क पी0 डब्लू0 डी0

दिनांक :- 04/05/17

Ramesh Chand Goel

वादीगण
रमेश चन्द्र गोयल व अन्य
द्वारा
04/05/17
श्री प्रशान्त कुमार गोयल, एड0
सिविल कोर्ट कम्पाउन्ड, बिजनौर

मैं वादी नं0 1 आज दि0 04/05/17 को स्थान बिजनौर में तस्दीक करता हूँ कि वादपत्र के पैरा नं0 1 ता 23 के कथन मेरे निजी ज्ञान में सच एवं सही हैं।

Ramesh Chand Goel

TEN RUPEES INDIA

[illegible] KUMAR ADVOCATE
[illegible] 5964 / [illegible] 2011
[illegible] COURT, BIJNOR

24
14/12/15

[illegible] 19-12-15
[illegible] 19-12-15
[illegible] 19-12-15

O.S. No. 506/13

न्यायालय सिविल जज, सीनियर डिवीजन, बिजनौर
पीठासीन– अपर्णा पाण्डेय (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)
मूलवाद संख्या 586 सन् 2013

1– रमेश चन्द्र गोयल आयु लगभग 76 वर्ष
2– सुरेश चन्द्र गोयल आयु लगभग 62 वर्ष

पुत्रगण स्व0 लल्लूमल निवासीगण मौ0 माहजनान, कस्बा व पर0 किरतपुर, वादी नं0 1 हाल निवासी द्वारा डा0 संदीप गोयल, एस0डी0 पुरम, किरतपुर रोड, कस्बा, पर0 व तह0 बिजनौर एवं वादी नं0 2 हाल निवासी श्री कृष्णा बैंकट हॉल, मौ0 हसनपुरा, निकट बस स्टैण्ड, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

.... वादीगण

बनाम

1– राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी, बिजनौर।
2– तहसीलदार, नजीबाबाद, जिला बिजनौर।
3– नगर पालिका परिषद, किरतपुर द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, किरतपुर, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।
4– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, किरतपुर, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

.... प्रतिवादीगण

5– राकेश कुमार गोयल आयु लगभग 54 वर्ष पुत्र श्री बशेश्वरचन्द्र गोयल, निवासी मौ0 माहजनान, हाल निवासी मौ0 हसनपुरा, निकट बस स्टैण्ड, कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

............तरतीबी प्रतिवादी

निर्णय

1– प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित कर याचना की गयी कि प्रतिवादीगण 1

क्रमशः

ता 4 को निषेधित किया जाये कि वह वादीगण की आराजी भूमिधरी खसरा नम्बर 2181/1 व 2 रकबई 3 बीघे 8 बिस्वांसी पुख्ता व ख0 नं0 2182/2 रकबई 7 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता कुल रकबई 3 बीघे 15 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता जिसकी सीमा वाद पत्र के अन्त में दी गई है, वह वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 5 के स्वामित्व एवं अधिपत्य में कोई विघ्न अथवा उनके दुकानात, मकानात आदि को तोड़कर या अन्य किसी भी रीत से स्वयं या अपने प्रतिनिधियों/कर्मियों या ऐजेन्ट द्वारा उत्पन्न ना कराये।

2– संक्षेप में वादीगण का वाद पत्र में कथन है कि आराजी भूमिधरी खसरा नम्बर 2181/1 व 2 रकबई 3 बीघे 8 बिस्वांसी पुख्ता व ख0 नं0 2182/2 रकबई 7 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता कुल रकबई 3 बीघे 15 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता, स्थित ग्राम किरतपुर (अब मौ0 हसनपुरा), कस्बा व पर0 किरतपुर, तह0 नजीबाबाद, जिला बिजनौर के वे तथा प्रतिवादी सं0 5 एवं श्रीमति चन्द्रावती पत्नि स्व0 श्री लल्लूमल बहैसियत साझेदार फर्म लल्लूमल रमेशचन्द्र किरतपुर, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 28–09–1974 इकरारी सत्यप्रकाश शर्मा पुत्र कृष्णदत्त शर्मा से स्वामी व अधिपति रहे हैं। खसरा नम्बर 2181/1 व 2 एवं खसरा नम्बर 2182/2 सम्मिलित इकजाई भूमि है, जिसकी मालिक फर्म लल्लूमल रमेशचन्द्र की साझेदार श्रीमति चन्द्रावती का देहान्त 1989 में हो गया। उपरोक्त भूमि क्रय करने के पश्चात् वादीगण, प्रतिवादी सं0 5 तथा श्रीमति चन्द्रावती का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में हो गया। उपरोक्त खसरा नम्बरान पर सत्यप्रकाश शर्मा बहैसियत सीरदार काबिज चले आते थे और उन्होंने भूमिधरी के अधिकार बीस गुना लगान अदा करके दिनांक 18–09–1970 को प्राप्त कर लिये है, जिसका इन्द्राज खतौनी वर्ष 1970 से 79 फसली में हो गया है। सत्यप्रकाश की उपरोक्त नम्बरान का क्रमशः 11 बिस्वे 10 बिस्वांसी पुख्ता रक्बा राज्य सराकर द्वारा अधिग्रहित किया गया, जिसका मुआवजा भी दिनांक 20–06–1970 को सत्यप्रकाश शर्मा को

क्रमशः

मालिक व काबिज मानते हुए स्वीकार कर नियमानुसार पंचाट के जरिये अदा किया गया। प्रतिवादी सं0 4, प्रतिवादी सं0 3 जो कस्बा किरतपुर का स्थानीय निकाय का अधिकारी है और अपने अधिकारियों के हर कृत्य के लिये जिम्मेदार है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं0 2 राज्य सरकार अपने अधिकारियों के कृत्य के लिये जिम्मेदार है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 5 के उपरोक्त भूमिधरी आराजी, प्रतिवादी सं0 3 की सीमाओं के अन्दर है और आबादी क्षेत्र में आ चुकी है। वादीगण द्वारा अधिकार पूर्वक प्रश्नगत सम्पत्ति पर दुकान आदि का निर्माण कराकर अपना अध्यासन स्थापित किया है तथा प्रतिवादी सं0 3 से नियमानुसार निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर दुकान का निर्माण कराया है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 3 व प्रतिवादी सं0 4 द्वारा वादीगण के स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि होना मानते देखते एवं स्वीकार करते आये हैं। प्रतिवादी सं0 3 ने गृह कर भी आरोपित कर रखा है, जो वादीगण के नाम से प्रतिवादी सं0 3 की मांग पंजिका में दर्ज है और वादीगण प्रतिवादी सं0 3 व प्रतिवादी सं0 4 को नियमानुसार गृह कर अदा करके रसीदें प्राप्त कर रहा है। वादीगण की सम्पत्ति से अन्य किसी व्यक्ति को कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादी सं0 4 ने वादीगण को दिनांक 13–08–2013 का पत्रांक 285/न0 पा0 परि0, किरतपुर, 2013–14 जो वादीगण को दिनांक 19–08–2013 को प्राप्त हुआ। प्रतिवादी सं0 4 ने उक्त नोटिस में वादीगण के खसरा नं0 2181 को तालाब की भूमि बताते हुए, प्रतिवादी सं0 2 के पत्रांक 54 दिनांक 30–07–2013 के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 5 तथा चन्द्रावती द्वारा कब्जा कर लेना बताते हुए एक माह के भीतर कब्जा हटाने को कहकर, उसके उपरान्त तहसील/पालिका द्वारा तालाब से कब्जा हटवाने की धमकी दी गयी, जबकि प्रश्नगत खसरा न कभी तालाब रहा है और न ही राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में इन्द्राज रहा है। प्रतिवादी सं0 3 द्वारा दिया गया नोटिस अवैध एवं भ्रामक है। वादी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वादीगण की कुल 17 दुकान बनी हैं तथा प्रतिवादी सं0 5 की

क्रमशः

कुल 21 दुकान व बैंक का भवन तथा निवास स्थान है और सभी दुकान में काबिज है। प्रतिवादीगण से निवेदन करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकार याचना की गई है कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को निषेधित किया जाये कि वह प्रश्नगत सम्पत्ति जिसका विवरण वाद पत्र में दिया गया, जिसमें वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 5 के स्वामित्त्व एवं अधिपत्य में कोई विघ्न अथवा दुकानात, मकानात आदि को तोड़ने से बाज रहे।

3– उपरोक्त के विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 2 द्वारा जवाब दावा कागज सं0 क–49 प्रस्तुत कर वाद पत्र में किये कथनों का खण्डन किया है एवं यह कथित किया है कि ग्राम किरतपुर के महाल चौहानान खेवट नम्बर–103 में अभिलेखों में राजाराय भारत सिंह पुत्र राजाराय डालचन्द्र निवासी साहनपुर का नाम अंकित है और खसरा नम्बर 1347 फसली के कॉलम नम्बर 5 में अंकित महाल चौहानान खेवट नम्बर 1 अंकित है, जिसके कॉलम नम्बर 1 में 2181 अंकित हैं, जिसमें पड़ावा व तालाब अंकित है। प्रश्नगत आराजी आधार वर्ष 1359 फसली में बंजर व तालाब के रूप में दर्ज है और इसकी वास्तविक स्वामी उ0प्र0 सरकार है। ग्राम किरतपुर की खतौनी (एन0जैड0ऐ0) 1367 फसली के खाता नम्बर– 14 पर बंजर अंकित है तथा तत्कालीन सुपरवाईजर कानूनगो द्वारा ग्राम किरतपुर के खसरा नम्बर–2181/1 क्षेत्रफल 3 बिघे पुख्ता व 2181/2 क्षेत्रफल 1 बिघा पुख्ता व खसरा नम्बर–2182/2 क्षेत्रफल 1–1–14 बिघे पुख्ता पर सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त का कब्जा दर्ज करने के आदेश अंकित हैं। ग्राम किरतपुर की खतौनी अन्दर नगर पालिका 1377 फसली से 1379 फसली के खतौनी 160 पर सत्यप्रकाश का नाम खसरा नम्बर–2181/1 क्षेत्रफल 4 बिघे पुख्ता, खसरा नम्बर 2182/2 क्षेत्रफल 1–1–14 बिघे पुख्ता कुल 2 खेत क्षेत्रफल 5–1–14 बिघे पुख्ता लगान 36.84 रूपये सीरदारी में मूल खातेदार के रूप में एन0जैड0ऐ0 से अन्दर नगर पालिका की खतौनी में बिना किसी

क्रमशः

आदेश के अंकित हो गयी। यह फर्जी प्रविष्टि है, इसके बाद वाद नम्बर 32 दिनांक 05-09-1970 में लगान जमा कर सनद भूमिधरी प्राप्त करने के आदेश 1377-1379 फसली में अंकित है। खतौनी 1380-1384 फसली के खाता नम्बर-110 पर सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त का नाम उपरोक्त गाटा नम्बर, क्षेत्रफल व लगान पर श्रेणी-1 के रूप में अंकित है। तत्पश्चात् खातेदार द्वारा दिनांक 28-03-1974 को विकय पत्र फर्म लल्लूमल रमेशचन्द्र द्वारा पार्टनर रमेशचन्द्र आदि का नाम अंकित है। आधार वर्ष 1359 फसली में प्रश्नगत आराजी तालाब के रूप में दर्ज थी और तालाब था, जिस वजह से किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है और वादीगण को प्रश्नगत आराजी पर कब्जा बनाये रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यह भी कथित किया गया कि उपरोक्त वाद जमींदारी उन्मूलन के प्रावधानों से बाधित है तथा धारा 80 सी0पी0सी0 से बाधित होने के कारण भी पोषणीय नहीं है। इस प्रकार याचना की गई है कि वादी का वाद निरस्त किया जाये।

4- प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा अतिरिक्त प्रतिवाद पत्र 149-क में उपरोक्त कथनों का समर्थन किया है।

5- प्रतिवादी सं0 3 व प्रतिवादी सं0 4 द्वारा जवाब दावा 62-क प्रस्तुत कर वाद पत्र में किये गये कथनों का खण्डन किया है और यह कथित किया कि उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित आराजी आधार वर्ष 1359 फसली में बंजर व तालाब के रूप में दर्ज है तथा इसकी वास्तविक स्वामी उ0प्र0 सराकर है, जो नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत है, इसके अलावा ग्राम किरतपुर की खतौनी (एन0जैड0ऐ0) 1367 फसली के खाता सं0-14 पर लेजर अंकित हैं। किन्तु तत्पश्चात् भी राजस्व अभिलेखों में सत्यप्रकाश का नाम व कब्जा दर्ज करने के सम्बन्ध में जो प्रविष्टि है वह बिना किसी विधिक अधिकार/निर्णय के दर्ज है जो फर्जी है।

कमशः

फर्जी एन्ट्री होने के कारण निष्पादित बैनामा दिनांकित 28–03–1974 से वादी को कोई हकूल वैध स्वामित्व एवं कब्जे का प्राप्त नहीं हुआ। वादीगण के विक्रेता ने यदि कोई मुआवजा हासिल कर लिया तो उसका लाभ वादी नहीं उठा सकता। वादीगण किसी फर्जी इन्द्राज का लाभ नहीं उठा सकता। जहां तक निर्माण की स्वीकृति किये जाने का प्रश्न है, यह बात उल्लेखनीय है कि किसी भी भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण की स्वीकृति दिये जाने के सन्दर्भ में भूमि के स्वामित्व के बाबत कोई न्यायिक निर्णय प्रतिवादीगण द्वारा नहीं दिया जाता है। वादीगण द्वारा यदि फर्जी प्रविष्टि वाले दस्तावेज प्रस्तुत कर निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की है तो उसका लाभ वादी को नहीं मिलेगा। वादीगण क्लीन हैण्ड नहीं हैं। इस प्रकार याचना की गई है कि वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जाये।

6– प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जवाब दावा क–86 प्रस्तुत कर वाद पत्र में किये गये कथनों का समर्थन किया है तथा कथित किया है कि कस्बा किरतपुर महाल चौहान खेवट नं0 1 खसरा नं0 2181 व 2182 के जमींदार राजाराम भगत सिंह पुत्र राजा राय डालचन्द थे। खसरा नं0 2181 व 2182 कस्बा किरतपुर अन्दर हदूद स्थानीय निकाय थे, लिहाजा नम्बरान उपरोक्त की जमींदारी अधिनियम सं0 1 सन् 1951 से समाप्त नहीं हुई, उक्त नम्बरान पर जैड0ए0 एक्ट 1 सन् 1951 के प्राविधान लागू नहीं होते। उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की जमींदारी समाप्ति के एक्ट नं0 8 सन् 1957 बनाया तथा कस्बा किरतपुर शहरी क्षेत्र की जमींदारी समाप्ति हेतु सरकार द्वारा 01–07–1963 में अधिसूचना जारी की गयी व धारा 8 के अन्तर्गत उक्त नम्बरान सीमांकन अधिकारी उक्त कृषि भूमि घोषित किये गये। यह भी कथित किया गया कि विवादित नम्बरान पर बरवक्त सम्पत्ति शहरी जमींदार सत्य प्रकाश पुत्र कृष्ण दत्त शर्मा बहैसियत सीरदार काबिज व दखील थे तथा बादहू दिनांक 18–09–1970 ई0 को सत्यप्रकाश द्वारा लगान का 20 गुना

कमशः

क्रा110/4

जमा करके विवादित नाम्बरान में भूमिधरी अधिकार प्राप्त किये। सन् 1968 में खसरा नं0 2181 क्षेत्रफल 0–7–0 व 2182 क्षेत्रफल 0–4–10 भूमि राज्य सरकार द्वारा वास्ते सड़क अधिग्रहित कर ली गयी, जिसका मुआवजा राज्य सरकार द्वारा सत्य प्रकाश शर्मा को विवादित नम्बरान का मालिक व काबिज स्वीकार करते हुए प्रदान किया गया। सत्य प्रकाश पुत्र कृष्ण दत्त शर्मा ने उक्त नम्बरान के जुज भाग जो भूमि सड़क अधिग्रहण में शेष बची थी, को दिनांक 28–03–1974 ई0 को फर्म लल्लूमल रमेश चन्द्र द्वारा पार्टनर रमेश चन्द्र व सुरेश चन्द्र पुत्रगण श्री लाला लल्लूमल व राकेश कुमार पुत्र श्री वशेष चन्द्र व श्रीमति चन्द्रवती पत्नी लाला लल्लूमल को विकय कर दिया, इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी सं0 5 वादग्रस्त सम्पत्ति पर अधिकार पूर्वक काबिज व दखील चले आते हैं। विवादित नम्बरान में मौके पर कभी भी तालाब नहीं रहा और न ही खसरा नम्बरान कभी सम्पत्ति राज्य सरकार रही है। प्रतिवादी सं0–03 द्वारा बिना किसी अधिकार के नोटिस दिया गया। इस प्रकार याचना की गयी है कि प्रतिवाद पत्र स्वीकार कर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाये।

7– प्रतिवादी सं0–1 व 2 द्वारा दिये गये प्रतिवाद पत्र के विरुद्ध प्रति उत्तर पत्र 53–क प्रस्तुत कर वाद पत्र में किये गये कथनों का समर्थन किया है। यह कथित किया है कि प्रतिवाद पत्र के प्रस्तर–25 के कथन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 2181 सरकार या प्रतिवादीगण या नगर पालिका या गॉव सभा की सम्पत्ति के तौर पर राजस्व अभिलेखों में कभी दर्ज नहीं हुई, बल्कि निजी सम्पत्ति रही है और व्यक्तिगत नामों से खेवट का इन्द्राज रहा है। 1359 फसली का इन्द्राज यह सिद्ध नहीं करता कि खसरा नम्बर 2181 की स्वामी उत्तर प्रदेश सरकार रही हो। किरतपुर 17 अप्रैल 1865 की गजट नोटिफिकेशन संख्या 384ए के अनुसार यू0पी0 अधिनियम संख्या 20 सन् 1865 के अनुसार उक्त दिनांक से ही कस्बा घोषित हो चुका था और उसके उपरान्त यू0पी0 टाउन ऐरिया एक्ट 1914 व यू0पी0

क्रमशः

म्युनिसिपलटी एक्ट–1916 के अन्तर्गत कमशः टाउन ऐरिया, नगर पालिका क्षेत्र के तौर पर स्थापित हो गया और प्रश्नगत खसरा नम्बर 2181 नगर पालिका क्षेत्र किरतपुर अन्तर्गत होने के कारण उत्तर प्रदेश अधिनियम 1 सन् 1991 के कोई भी प्रावधान प्रस्तुत मामले पर लागू नहीं होते हैं। सत्यप्रकाश के नाम का इन्द्राज फर्जी प्रविष्टी नहीं है। 1359 फसली में श्रेणी जमन 14–3 बंजर (2) दर्शायी गयी है, जो गलत है। वास्तविकता में यह भूमि श्रेणी 1 व 2 की भूमि, लैड रिकार्ड मैन्युअल के चैप्टर 8 के पैरा नं0 124 ,के अनुसार है।

8– इसी प्रकार प्रतिवादी सं0–3 व 4 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र के विरूद्ध प्रति उत्तर पत्र 66–क प्रस्तुत कर प्रतिवाद पत्र का खण्डन किया है एवं कथित किया है कि विवाद ग्रस्त सम्पत्ति 1359 फसली के बंजर व तालाब के रूप में दर्ज नहीं रहा, न ही श्रेणी 6 अथवा श्रेणी 9 का तालाब या बंजर दर्ज रहा है। स्वीकृत रूप से उपरोक्त आराजी एन0जैड0ए0 क्षेत्र में रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 का कोई प्रावधान लागू नहीं होता। यह भी कथित किया है कि नगर पालिका परिषद किरतपुर के रजिस्टर मालिकान में भी खसरा संख्या 2181 व 2182/2 का कोई इन्द्राज नहीं है और राजस्व अभिलेखों में भी श्रेणी 6 में कोई भूमि अकृषिक भूमि या जलमग्न भूमि केवल सड़क पुख्ता में अधिग्रहित भूमि के अलावा नदारद है। जिसका तात्पर्य यह है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर में सड़क में अधिगृहित अंश को छोड़कर शेष भूमि जलमग्न भूमि के रूप में कभी नहीं रही है। प्रश्नगत खसरा नं0 पर स्वर्गीय सत्यप्रकाश का वैधानिक कब्जा होने के कारण ही प्रतिवादी सं0–1 के राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रश्नगत नं0 पर दिनांक 18–06–1961 को विधि पूर्वक नाम इन्द्राज किया गया तथा बहैसियत सीरदार स्व0 सत्यप्रकाश को सड़क अधिग्रहण का मुआवजा दिया गया। स्व0 सत्यप्रकाश ने खसरा सं0 2182/3 में से मौ0 इस्माईल को व इसी खसरा नं0 में से अ0 वाहिद को सम्पत्ति विकय किया और

कमशः

क्र 110/5

इसी खसरा नं0 में से मौ0 अली को भी विकय किया गया। इन तीनों केताओं के नाम भी राजस्व अभिलेखों में कमशः इन्द्राज हुए और यह लोग आज भी काबिज हैं, जबकि तीनों बैनामे फर्म लल्लूमल रमेशचन्द्र को किये गये बैनामे से पूर्व के हैं।

9— प्रति उत्तर पत्र 163—ग के द्वारा अतिरिक्त जवाब दावा 149—क का खण्डन किया है और वादी का दावा डिकी किये जाने की याचना की है।

10— उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये।

1— क्या वादीगण एवं प्रतिवादी सं0—5 विवादित सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण वादपत्र के अन्त में तालिका—अ में दिया गया है, के मालिक काबिज हैं?
2— क्या प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 वादीगण को विधि विरूद्ध तरीके से बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादग्रस्त आराजी से जबरदस्ती बेदखल करना चाहते हैं?
3— क्या दावा वादीगण अल्पमूल्यांकित है तथा प्रदत्त न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है?
4— क्या दावा वादीगण धारा 331 जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के प्राविधानों से बाधित है?
5— क्या दावा वादी आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित है?
6— वादीगण किस अनुतोष को पाने के अधिकारी हैं?

11— वादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में सूची 9—ग/1 लगायत 9—ग/3 से 10—क/1 लगायत 10—क/4 सत्यापित प्रतिलिपि विकय पत्र इकरारी श्री सत्यप्रकाश शर्मा बहक फर्म लल्लूमल रमेशचन्द्र द्वारा साझेदार रमेशचन्द्र, सुरेशचन्द्र, राकेश

कमशः

कुमार एवं चन्द्रावती दिनांकित 28-03-1974, खतौनी 1419 फसली से 1424 कागज सं0 11-ग, खसरा फसली वर्ष 1420 कागज संख्या 12-ग, खतौनी फसली वर्ष 1380-84 13-ग/1, खतौनी वर्ष 1377-79 कागज सं0 13-ग/2, नकल फार्म नमूना धारा एल0ए0 एक्ट (भूमि अध्यापित) मौजा किरतपुर, परगना किरतपुर ता फै0 20-6-70 कागज सं0 13-ग/3, नकल फार्म ए स्टेटमेंट 13-ग/4, नकल नक्शा चकतरासी ग्राम किरतपुर परगना किरतपुर 14-ग, नक्शा 15-ग, नगर पालिका द्वारा जारी रसीद कागज सं0 16-ग/1 लगायत 16-ग/9 तथा रसीद कागज सं0 17-ग/1 लगायत 17-ग/4, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद किरतपुर द्वारा अनुमति बाबत निर्माण दुकान दिनांकित 17-06-2005 कागज सं0 18-ग/1 तथा संलग्न नक्शा 18-ग/2, नगर पालिका परिषद द्वारा जारी अनुमति कागज सं0 19-ग/1 लगायत 19-ग/2, कार्यालय नगर पालिका परिषद, किरतपुर, बिजनौर द्वारा जारी नोटिस 20-ग/1, कार्यालय तहसीलदार नजीबाबाद द्वारा प्रेषित पत्र अधिशासी आधिकारी कागज सं0 20-ग/2, नोटिस कार्यालय नगर पालिका द्वारा जारी 21-ग/1 लगायत 21-ग/2 एवं सूची 68-ग से नकल बस्ता खतौनी 1380-1382 फसली कागज सं 69-ग, नकल खतौनी फसली 1391-1400 कागज सं0 70-ग, खतौनी फसली 1401-1406 कागज सं0 71-ग, नकल इन्तेखाब रजिस्टर गृहकर निर्धारण कागज सं0 72-ग, रसीद 73-ग, नकल इन्तेखाब रजिस्टर गृहकर निर्धारण कागज सं0 74-ग, रसीद 75-ग, नकल इन्तेखाब रजिस्टर गृहकर निर्धारण कागज सं0 76-ग, रसीद 77-ग, नकल इन्तेखाब रजिस्टर गृहकर निर्धारण कागज सं0 78-ग, रसीद 79-ग, सत्यापित प्रतिलिपि विकय पत्र इकरारी सत्यप्रकाश बहक मौ0 इस्माईल दिनांकित 13-10-19971 कागज सं0 80-ग/1 लगायत 80-ग/4, सत्यापित प्रतिलिपि विकय पत्र इकरारी सत्यप्रकाश बहक अ0 वाहिद दिनांकित 20-10-1970 81-ग/1 लगायत 81-ग/3, सत्यापित प्रतिलिपि विकय पत्र इकरारी सत्यप्रकाश बहक मौ0 अली

क्रमशः

दिनांकित 20–10–1970 कागज सं0 82–ग/1 लगायत 82–ग/3 दाखिल किया है।

12– प्रतिवादी सं0 5 की ओर से सूची 104–ग से नकल जो0च0 आकार पत्र 40 कागज सं0 105–ग, खतौनी फसली वर्ष 1359 कागज सं0 106–ग, नकल बस्ता खतौनी 1359 फसली 107–ग, नकल भूचित्र किरतपुर 108–ग दाखिल किया है।

13– प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से सूची 39–ग से छायाप्रति फर्द खसरा फसली 1337 कागज सं0 40–ग/1 लगायत 40–ग/2, छायाप्रति नकल फर्द खतौनी फसली सन् 1359 कागज सं0 41–ग, खसरा नकल 1359 फसली 42–ग, नकल खतौनी छायाप्रति वर्ष 1367 फसली कागज सं0 43–ग, छायाप्रति सन् 1389–1392 फसली (खेवट सं0–1) कागज सं0 44–ग/1 लगायत 44–ग/2, छायाप्रति फर्द खतौनी वर्ष 1377–79 कागज सं0 45–ग, छायाप्रति खतौनी वर्ष 1380–1384 46–ग, खतौनी फसली वर्ष 1419–1424 छायाप्रति कागज संख्या 47–ग एवं सूची सबूत 152–ग से नोटिस कागज संख्या 153–ग, खसरा कागज संख्या 154–ग व खतौनी 155–ग दाखिल किया है।

14– प्रतिवादी सं0 3 व 4 द्वारा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

15– वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में रमेशचन्द गोयल को पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में परीक्षित हुए हैं।

16– प्रतिवादी द्वारा सुरेशचन्द्र को बतौर डी0डब्ल्यू–1 परीक्षित कराया गया है।

17– प्रतिवादी सं0–4 की ओर से बाबूराम टैक्स कलैक्टर को

क्रमशः

परीक्षित कराया गया है। पक्षकारों की ओर से अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

18— पत्रावली में रिपोर्ट कमीशन मय नक्शा कागज संख्या 28—ग व 29—ग दाखिल है।

19— मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

20— पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिपेक्ष्य में न्यायालय द्वारा विरचित वाद बिन्दुओं का बिन्दुवार विश्लेषण किया जा रहा है।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 01

21— वाद बिन्दु संख्या—01 इस प्रकार विरचित किया गया है कि क्या वादीगण एवं प्रतिवादी सं0—5 विवादित सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण वादपत्र के अन्त में तालिका—अ में दिया गया है, के मालिक काबिज हैं?

22— उपरोक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादीगण एवं प्रतिवादी सं0—5 पर है। वादीगण द्वारा कथित किया गया है कि वह आराजी भूमि खसरा नम्बर 2181/1 व 2181/2 रकबा 3 बीघे 8 बिस्वे पुख्ता व खसरा सं0 2182/2 रकबई 7 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता, कुल रक्बा 3 बीघे 15 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता स्थित ग्राम किरतपुर कस्बा व परगना किरतपुर, तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या—5 एवं स्व0 श्रीमति चन्द्रावती पत्नि स्व0 श्री लल्लूमल बहैसियत साझेदार फर्म लल्लूमल रमेशचन्द किरतपुर

कमशः

पंजीकृत विकयपत्र दिनांकित 28—03—1974 से स्वामी व काबिज रहे हैं तथा उपरोक्त खसरा नम्बरान पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या—5 का नाम राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज हो गया है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 9—ग/1 लगायत 9—ग/3 से दाखिल कागज संख्या 10—ग/2 दाखिल किया गया जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत आराजी स्थित ग्राम किरतपुर, परगना किरतपुर अन्दर हदूद नगर पालिका किरतपुर का बैनामा सत्यप्रकाश द्वारा स्वयं को मालिक काबिज होते हुये, बेचने की आज्ञा जिलाधीश महोदय बिजनौर से 22—01—1974 प्राप्त करने के पश्चात् फर्म लल्लूमल रमेशचन्द किरतपुर, नजीबाबाद, जिला बिजनौर जिसके साझीदार रमेशचन्द व सुरेशचन्द पुत्र लल्लूमल व राकेश कुमार व श्रीमती चन्द्रावती के पक्ष में दिनांक 28—03—1974 को निष्पादित किया गया। कागज संख्या 11—ग फसली वर्ष 1419—1424 के अनुसार श्रेणी 1—क में वादीगण का नाम प्रश्नगत खसरा नम्बरान के बाबत दर्ज है।

23— वादी द्वारा वाद पत्र में यह कथित किया गया है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान सत्यप्रकाश शर्मा बहैसियत सीरदारे काबिज थे और सत्यप्रकाश शर्मा ने उपरोक्त खसरा नम्बरान में भूमिधर के अधिकार का 20 गुना लगान अदा करके दिनांक 18—09—1970 को प्राप्त कर लिया, जिसका इन्द्राज खतौनी फसली वर्ष 1377—1379 में हो गया। वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 13/2—ग नकल खतौनी ग्राम किरतपुर परगना किरतपुर नजीबाबाद जिला बिजनौर फसली वर्ष 1377—1379 के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त खतौनी में श्रेणी 2 में भूमि जो सीरदारों के अधिकारों में होना उल्लिखित है, अंकित है। उक्त खतौनी में ही खाता संख्या 160 पर सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त, खसरा नम्बर 2181/1 व 2 तथा 2182/2 कुल क्षेत्रफल 5—1—14 बीघे नजीबाबाद मुकदमा नम्बर 32/15—9—1970 में पारित आदेश के अनुसार सत्यप्रकाश ने अपने खाते का लगान 36.84 रूपये जमा कर सनद भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने की प्रविष्टि अंकित है।

कमशः

इसी खतौनी के अग्रिम कॉलम के अनुसार खाता नम्बर 160 पर भूमि अध्यापित अधिकारी द्वारा मुकदमा संख्या 13/24–01–1972, ~~के कम संख्या 21 पर~~ खसरा संख्या 2181 व 2182 में 11 बिस्वे 10 बिस्वांसी से सत्यप्रकाश का नाम खारिज करके सड़क पी.डब्लू.डी. दर्ज है। कागज संख्या 13–ग/3 व 13–ग/4 के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय एल.ए.ओ. नजीबाबाद मोजा किरतपुर परगना किरतपुर द्वारा वाद संख्या 15 (टी) धारा एल.ए. एक्ट में भूमि अध्यापित अधिकारी द्वारा दिनांक 20–06–1970 को सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त को मालिक मानते हुए 11 विस्वा 10 विस्वांसी भूमि अधिग्रहित की गयी। इस प्रकार उपरोक्त प्रपत्रों के अवलोकन से यह विदित होता है कि सत्यप्रकाश शर्मा प्रश्नगत उपरोक्त खसरा नम्बरान के बतौर सीरदार काबिज थे और उनके द्वारा 20 गुना लगान अदा करने के पश्चात् सनद भूमिधरी अधिकार प्राप्त किया गया था। सत्यप्रकाश द्वारा उक्त नम्बरान के शेष भाग जो भूमि सड़क अधिग्रहण में बची थी उसमें से दिनांक 28–03–1974 को वादीगण के पक्ष में बैनामा निष्पादित किया।

24— प्रतिवादी संख्या–1 व 2 द्वारा यह कथित किया गया है कि खेवट नम्बर 103 के अभिलेखों में राजाराय भरत सिंह पुत्र राजाराय डालचन्द्र निवासी साहनपुर का नाम अंकित है तथा खसरा नम्बर–1347 फसली के कालम नम्बर–5 में अंकित महाल चौहानान खेवट नम्बर–1 अंकित जिसके कालम नम्बर–1 में खसरा नम्बर–2181 अंकित है, जिसमें पड़ावा व तालाब अंकित है। यह भी कथन किया गया है कि प्रश्नगत आराजी आधार वर्ष 1359 फसली में बंजर व तालाब के रूप में दर्ज है और इसका वास्तविक स्वामी उत्तर प्रदेश सरकार है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या–3 व 4 द्वारा भी यह कथित किया गया है कि विवादित आराजी आधार वर्ष 1359 फसली में बंजर व तालाब के रूप में दर्ज है तथा इसका वास्तविक स्वामी उत्तर प्रदेश सरकार है तथा जो नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत है। इसके

क्रमशः

क-110/8

विपरीत वादीगण तथा प्रतिवादी सं0–5 का यह कथन है कि 1359 फसली का इन्द्राज हरगिज यह सिद्ध नहीं करता है कि प्रश्नगत खसरा उत्तार प्रदेश सरकार की भूमि रही हो, प्रश्नगत खसरा नम्बरान बंजर व तालाब के रूप में दर्ज नही रहा हो न ही श्रेणी 6 व 9 का तालाब या बंजर रहा हो।

25– उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर न्यायालय को यह देखना है कि क्या प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल कागज संख्या 41–ग फसली वर्ष 1359 में दर्ज तालाब उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पत्ति है अथवा नहीं?

26– उपरोक्त के सम्बन्ध में वादी द्वारा जवाबुलजवाब कागज संख्या 53–क के प्रस्तर–6 में यह कथित किया गया है कि किरतपुर 17 अप्रैल 1865 के गजट अधिसूचना संख्या–384ए के अनुसार यू.पी. अधिनियम संख्या–20 सन् 1865 के अनुसार उक्त दिनांक से ही कस्बा क्षेत्र घोषित हो चुका था और उसके उपरान्त उत्तर प्रदेश टाउन एरिया 1914 के अन्तर्गत व यू.पी. म्यूनिशिपल एक्ट 1916 के अन्तर्गत कमशः टाउन एरिया, नगर पालिका के क्षेत्र के तौर पर स्थापित हो गया है और प्रश्नगत खसरा नम्बर–2181 नगर पालिका क्षेत्र किरतपुर के अन्तर्गत होने के कारण उस पर उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1951 के कोई भी प्राविधान प्रस्तुत मामले मे लागू नहीं होते हैं। उपरोक्त गजट की फोटो प्रति वादी द्वारा अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी। गर्वमेन्ट गजट नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविन्सेस, इलाहाबाद अप्रैल, 26 1865 (नं0 XVII) में प्रकाशित 17 अप्रैल 1865 के गजट नोटिफिकेशन संख्या–384ए के अनुसार (It is hereby notified that the provisions of Act XX of 1856 will from this day, be introduced into the Towns of the Bijnour District marginally noted.) उपरोक्त नोटिफिकेशन के मार्जिन में किरतपुर क्षेत्र अंकित है। कागज संख्या 40–ग/1 व 41–ग प्रतिवादी द्वारा दाखिल किया गया है, उसके अनुसार 1337 फसली में भी कस्बा किरतपुर परगना किरतपुर अंकित हैं। प्रतिवादी संख्या–5 द्वारा दाखिल

कमशः

कागज संख्या 106—ग खतौनी फसली वर्ष 1359 की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से विदित होता है कि 2181/1 व 2 के समक्ष टाउन अंकित है। इसके अतिरिक्त स्वयं प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब दावे में 1367 फसली खतौनी को एन.जैड.ए. में दर्ज होने का कथन किया गया है तथा ग्राम किरतपुर की खतौनी 1367 फसली को अन्दर नगर पालिका होना कहा गया है। उपरोक्त प्रपत्रों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत खसरा नम्बरान कस्बा तत्पश्चात् टाउन एरिया तथा नगर पालिकां क्षेत्र के अन्तर्गत है। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा—1 (2) के अनुसार, " इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जो कि 07 जुलाई, 1949 को, संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानों के अन्तर्गत एक नगर पालिका में या एक अधिसूचित क्षेत्र में या कैन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 के अन्तर्गत एक छावनी में, या संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया एक्ट, 1914 के अन्तर्गत टाउन एरिया में, समाविष्ट थे।" इस प्रकार उभय पक्षों द्वारा दाखिल प्रपत्रों एवं अभिवचनों के आधार पर स्वीकृत रूप से प्रश्नगत खसरा नम्बरान किरतपुर के अन्तर्गत रही है और खतौनी में एन.जैड.ए. के रूप में दर्ज है। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम—1950 के प्राविधान प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होते हैं।

27— उत्तर प्रदेश अरबन एरिया जैड0ए0 एवं लैण्ड रिफॉमर्स अधिनियम 1956 की धारा—1 (2बी) के अनुसार "It shall extend to the areas which-in the case of the rest of uttar pradesh, were, on the 7th day of july, 1949, included in a municipality, or a notified area under the provisions of the U.P. municipalities Act, 1916, 0r in a cantonment under the provisions of the cantonment Act, 1924 or a town area under the provisions of the U.P. Town Areas Act, 1914"

28- धारा—1 (3) के अनुसार "It shall come into force

क्रमशः

at once except in the areas mentioned in the sehedule where it shall come into force on such date and subject to such exceptions or modifications not affecting the substance as the State Government may by notification publish in the official Gazette appoint in this befalf and different dates may be appointed and different exceptions or modifications made for different areas"

29– धारा–2 (1) के अन्तर्गत "Agricultural area" परिभाषित किया गया है।

30– राजस्व विभाग, नोटिफिकेशन नम्बर 2653/1ए–168–60 दिनांकित जून, 20, 1963, यू0पी0 गजट पार्ट–1 में प्रकाशित दिनांकित जून, 29, 1963, पी.1217. के अनुसार "In exercise of the powers under section 8 of the U.P. Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act. 1956 (U.P. Act No. IX of 1957), the Governor of Uttar Pradesh is pleased to declare that as from the first day of July, 1963, all agricultural areas in the following Urban areas of the State, which have been so demarcated under section 5 of the aforsaid Act, shall vest in the State of Uttar Pradesh, and as from the beginning of that date, all such agricultural areas stand transferred to, and vest, except as provided in the said Act, in the State free from all encumbrances." तथा कम संख्या–31 पर किरतपुर नोटिफाइड एरिया उल्लिखित है।

31– इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय निकाय के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की जमींदारी समाप्ति के लिये यू0पी0 एक्ट नम्बर–9 सन् 1957 बनाया गया। उपरोक्त अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत वो व्यक्ति जो प्रश्नगत सम्पत्ति पर काबिज थे

क्रमशः

वो सीरदार के रूप में स्थापित हुये। वादी की ओर से अपने तर्क के समर्थन में 1964 एएलजे पेज-14 हरसरन दास बनाम काले प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि यू0पी0 शहरी क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम, 1956 की धारा-18 (2)(b) के अनुसार जिनको सीरदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे उन्हें प्रश्नगत सम्पत्ति से निकाला नहीं जा सकता था। इस प्रकार जहां तक प्रतिवादी का यह कथन है कि आधार वर्ष 1359 फसली की खतौनी है, उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर यू0पी0जैड0 ए0 एक्ट, 1950 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। अतः ऐसी स्थिति में आधार वर्ष फसली सन् 1359 नहीं है। उ0प्र0 अरबन एरिया जैड0ए0 अधिनियम के अनुसार कस्बा किरतपुर हेतु अधिसूचना 01 जुलाई, 1963 को जारी हुई तथा धारा-8 के अन्तर्गत किरतपुर कृषि भूमि घोषित हुआ।

32- प्रतिवादीगण द्वारा अपने इस तर्क के सम्बन्ध में कि प्रश्नगत खसरा नम्बर-1359 फसली में तालाब के रूप में दर्ज है, इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार उसकी वास्तविक स्वामी है, सूची 39-ग से कागज संख्या 41-ग/1 लगायत 41-ग/2 दाखिल किया गया है। यद्यपि उक्त प्रपत्र फोटोप्रति हैं, परन्तु उक्त खतौनी के अवलोकन से यह विदित होता है कि फसली वर्ष 1337 कस्बा किरतपुर, परगना किरतपुर पर अंकित खसरा संख्या-2181 के कॉलम नं0-5 में महाल चौहानान खेवट संख्या-1 अंकित है तथा उक्त अभिलेख में राजाराय भरत सिंह पुत्र राजाराय डालचन्द का नाम अंकित है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा दाखिल किये गये स्वयं के प्रपत्रों से यह विदित होता है कि फसली वर्ष 1337 में प्रश्नगत खसरा नम्बर-2181 पर उत्तर प्रदेश सरकार अथवा नगर पालिका का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, अपितु उक्त सम्पत्ति राजाराय की निजी सम्पत्ति थी और उसके नाम से खेवट का इन्द्राज रहा है। प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर बंजर तथा तालाब दर्ज है, परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार की सम्पत्ति

क्रमशः

क–110/10

होने का कोई भी इन्द्राज अंकित नहीं है। उपरोक्त विवेचना से यह साबित हो चुका है कि फसली वर्ष 1359 प्रस्तुत मामले में आधारं वर्ष नहीं है, प्रश्नगत सम्पत्ति पर यू.पी.जैड.ए. के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह भी उपरोक्त विवेचना में स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत सम्पत्ति स्थित कस्बा किरतपुर, उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र में जमींदारी समाप्ति हेतु सरकार द्वारा दिनांक 01–07–1963 में अधिसूचना जारी की गयी थी। प्रतिवादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 43–ग से स्पष्ट है कि उक्त अधिसूचना जारी होने के पूर्व ही दिनांक 18–06–1961 को सत्यप्रकाश का नाम कब्जेदार के रूप में अंकित हो चुका था। इस प्रकार यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जाये कि फसली वर्ष 1359 में प्रश्नगत भूमि तालाब के रूप में दर्ज है तो भी इसका कोई लाभ प्रतिवादीगण को नहीं मिलेगा। प्रश्नगत किरतपुर क्षेत्र में अधिसूचना सन् 01 जुलाई, 1963 जारी होने के पूर्व सत्यप्रकाश का नाम प्रश्नगत नम्बरान के बाबत दर्ज हो चुका था। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–5 द्वारा यह भी स्पष्ट कथित किया है कि प्रश्नगत आराजी न तो बंजर व तालाब के रूप में दर्ज रही है, न ही श्रेणी–6 व 9 तालाब या बंजर दर्ज रहा है तथा नगर पालिका परिषद किरतपुर के रजिस्टर मालिकाना में प्रश्नगत खसरा नम्बरान का कोई इन्द्राज नहीं है। राजस्व अभिलेखों में भी श्रेणी–6 में कोई अकृषिक भूमि या जलमग्न भूमि केवल सड़क पुख्ता में अधिग्रहित भूमि के अलावा नदारद है। वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 14–ग व 15–ग के अवलोकन से विदित होता है कि खसरा नम्बर–2181 व 2182 पर उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 में परम्परागत चिन्हों के अनुसार तालाब का कोई चिन्ह अंकित नहीं है। कागज संख्या 70–ग फसली वर्ष 1391–1400 किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर के अवलोकन से विदित होता है कि श्रेणी–6 में अकृषिक भूमि के अन्तर्गत जलमग्न भूमि नदारद अंकित है। इसी प्रकार कागज संख्या 71–ग नकल बस्ता खतौनी फसली वर्ष 1401–1406 में भी श्रेणी–6 में अकृषिक भूमि के अन्तर्गत जलमग्न भूमि नदारद है ओर सड़क पुख्ता

18-06-1961

क्रमशः

का इन्द्राज है। उक्त प्रपत्रों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आराजी पर उक्त खसरा नम्बरान पर सड़क में अधिगृहित भाग को छोड़कर शेष भाग जलमग्न भूमि नहीं है। कागज संख्या 14–ग नक्शे के अवलोकन से विदित होता है कि खसरा नम्बरान 2181 व 2182 में सड़क के लिये अधिगृहित भूमि लाल स्यांही से दर्शायी गयी है। अद्तन खतौनी के अनुसार भी तालाब का कोई इन्द्राज नहीं है। अतः ऐसे में प्रतिवादी का यह कथन कि प्रश्नगत खसरा नम्बरान पर तालाब है और वह उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

33– प्रतिवादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 43–ग फसली वर्ष 1367 के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 18–06–1961 को खसरा नम्बरान 2181/1 व 2181/2 पर सत्यप्रकाश का कब्जा होना दर्ज है। यद्यपि उक्त प्रपत्र फोटोप्रति हैं, परन्तु प्रतिवादी संख्या–1 व 2 द्वारा प्रस्तर–27 में यह स्वीकार किया गया है कि फसली वर्ष 1367 ग्राम किरतपुर की खसरा नम्बरान 2181/1 क्षेत्रफल 3 बीघे पुख्ता व खसरा नम्बर–2181/2 क्षेत्रफल 1–1–14 बीघे पुख्ता पर सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त निवासी ग्राम किरतपुर का कब्जा दर्ज करने का आदेश सुपरवाईजर कानूनगो के द्वारा किया गया। वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 13–ग/2 फसली वर्ष 1377–1379 की सत्यप्रतिलिपि के अनुसार मुकदमा संख्या–32 दिनांकित 15–09–1970 के अनुसार सत्यप्रकाश ने अपने खाते का लगान 36.84/– रूपये अदा कर सनद भूमिधरी अधिकार प्राप्त होना अंकित है। उक्त इन्द्राज को स्वयं प्रतिवादी संख्या–1 व 2 द्वारा जवाब दावा के प्रस्तर–28 में स्वीकार किया है। डी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वर्ष 1370–79 फसली की खतौनी में श्रेणी–2 जो सीरदारों के अधिकारों में हैं, बतौर सीरदार सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त खाना नं–2 में दर्ज है। इसी खतौनी के खाना नं–3 में पूर्व 1371 फसली दर्ज है। यह भी स्वीकार किया है कि सत्यप्रकाश का नाम

क्रमशः

बतौर सीरदार 1371 फसली से पूर्व ही चला आ रहा है और सत्यप्रकाश ने लगान का 20 गुना जमा करके सीरदार के भूमिधरी अधिकार प्राप्त किये और भूमिधरी सनद प्राप्त की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्यप्रकाश को सीरदार के अधिकार प्रदान किये गये।" इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी द्वारा अपने साक्ष्य में भी वादी के कथनों का समर्थन किया है। इसी प्रकार कागज संख्या 13–ग/1 नकल खतौनी फसली वर्ष 1380–1384 किरतपुर, नजीबाबाद, जिला बिजनौर श्रेणी 1 भूमि जो भूमिधरों के अधिकारों में है, उसमें खाता संख्या–110 में सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त का नाम प्रश्नगत नम्बरान के बाबत अंकित है और कॉलम नम्बर–7 में आदेश दिनांकित 31–05–1977 के अनुसार खाता नम्बर–110 से सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त का नाम खारिज होकर फर्म लल्लूमल रमेशचन्द किरतपुर नजीबाबाद जिला बिजनौर जिसके साझेदार श्री रमेशचन्द व सुरेशचन्द्र पुत्र श्री लल्लूमल व राकेश कुमार व श्रीमति चन्द्रावती का नाम दर्ज होना अंकित है। उक्त प्रविष्टि को भी प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे के प्रस्तर–29 में स्वीकार किया है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा खतौनी (एन.जेड.ए.) फसली वर्ष 1367 पर सत्यप्रकाश का कब्जा दर्ज होने का आदेश, फसली वर्ष 1377–1379 में सत्यप्रकाश का नाम बतौर सीरदार तथा आदेश दिनांकित 05–09–1970 में लगान जमा कर सनद भूमिधरी अधिकार प्राप्त होने का आदेश स्वीकार किया है। खतौनी फसली वर्ष 1380–1384 के खाता नम्बर–110 में सत्यप्रकाश को श्रेणी–1 के रूप में खातेदार होना भी स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 द्वारा वादपत्र में प्रश्नगत आराजी की चौहद्दी के बाबत कोई खण्डन नहीं किया है। रिपोर्ट कमीशन मय नक्शा कागज संख्या 29–ग से प्रश्नगत सम्पत्ति की चौहद्दी की पुष्टि होती है।

34– उपरोक्त प्रपत्रों के सम्बन्ध में मात्र प्रतिवादी संख्या–1 ता 4 द्वारा यह कथित किया गया है कि उक्त प्रविष्टि फर्जी है, जो बिना किसी आदेश के अंकित हो गयी। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है

क्रमशः

कि राजस्व अभिलेखों को रखरखाव राजस्व विभाग का है, अभिलेख में इन्द्राज की प्रविष्टिं को रिबट किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई प्रपत्र अथवा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि यह साबित होता कि उक्त प्रवृष्टि फर्जी है। उनके द्वारा स्वयं दाखिल सभी प्रपत्र फोटो प्रति हैं। कागज संख्या 43-ग स्वयं उनके द्वारा दाखिल की गयी है जिसमें सत्यप्रकाश का कब्जा. होना दर्ज है। डी0डब्लू0-1 द्वारा प्रतिपरीक्षा में फर्जी होने के सम्बन्ध में मात्र यह कथन किया है कि 1377-1379 फसली वर्ष की खतौनी में उसने सत्यप्रकाश के नाम को फर्जी इसलिये बताया कि पूर्व खतौनी में नाम दर्ज नही है परन्तु उक्त साक्षी द्वारा स्वयं कागज संख्या 115-क/9 में यह स्वीकार किया कि "यह कहना सही है कि लैण्ड लॉर्ड मन्यूअल के पैरा-10ए के अनुसार सुपरवाईजर काननूनगो को कब्जा दर्ज करने का अधिकार है। 43-ग के इन्द्राज से यह स्पष्ट इन्द्राज है कि पैरा-10ए के अनुसार ही सत्यप्रकाश का नाम सुपरवाईजर कानूनगो ने दर्ज किया। उक्त इन्द्राज को सरकार द्वारा आजतक कहीं कोई चुनौती नहीं दी गयी है। रिकार्ड के अनुसार यह बात सही है कि लगान का 20 गुना जमा करके भूमिधरी अधिकार प्राप्त कर लिये गये थे।" इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि कब्जा दर्ज करने का आदेश नियमानुसार किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कथित इन्द्राज की कहीं पर कोई आपत्ति नही की गई है और न ही कोई चुनौती दी गयी है। जिसे स्वयं प्रतिवादी द्वारा अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है।

35- जहां तक कब्जे का सम्बन्ध है, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या-5 द्वारा यह कथित किया गया है कि उपरोक्त खसरा नम्बरान में वादीगण की कुल 17 दुकाने बनी है और प्रतिवादी सं0-5 की कुल 21 दुकान, बैंक का भवन व प्रतिवादी स0-5 का निवास स्थान है और सभी दुकानों में किरायेदार काबिज है। प्रतिवादी सं0-1 व 2 द्वारा उक्त कथन का विशिष्ट रूप से कोई खण्डन नहीं किया गया है और

क्रमशः

न ही उसके कथन के विरूद्व कोई आपत्ति की है। वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची 9-ग से कागज संख्या 16/1-ग ल0 16/9-ग मूल रसीदं गृहकर कर अदायेगी हेतु नगर पालिका परिषद द्वारा जारी दाखिल की गयी है जिस पर अदाकर्ता के रूप में रमेशचन्द पुत्र लल्लूमल का नाम अंकित है। इसी प्रकार कागज संख्या 17/2-ग ल0 17/4-ग नगर पालिका परिषद किरतपुर द्वारा जारी रसीद के अवलोकन से विदित होता है कि अदाकर्ता के रूप में श्री सुरेशचन्द पुत्र लल्लूमल का नाम अंकित है। कागज संख्या 72-ग के अवलोकन से विदित होता है कि नकल इन्तखाब रजिस्टर गृहकर निर्धारण सूची वर्ष 1976-77 से 1980-81 में सम्पत्ति नम्बर 40, 36 स्थित किरतपुर मौ0 हसनपुरा, जिला बिजनौर में मालिक मैसर्स लल्लूमल रमेशचन्द अंकित है। इसी प्रकार कागज संख्या 74-ग रसीद 75-ग, कागज संख्या 76-ग मय रसीद 77-ग, कागजसंख्या 78-ग मय रसीद 79-ग भी गृहकर निर्धारण नकल इन्तखाब रजिस्टर गृहकर निर्धारण पर सम्पत्ति पर रमेशचन्द पुत्र लल्लूमल का नाम अंकित है तथा उक्त प्रपत्रों से यह विदित होता है कि प्रश्नगत सम्पत्ति में वादी का कब्जा है। मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0-1 द्वारा वादपत्र में किये गये कथनों का समर्थन किया है, कब्जे के सम्बन्ध में प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0-1 द्वारा कथित किया गया है कि बाद बैनामा विवादित नम्बरान पर खरीददार दखील हो गये। विवादित आराजी में लल्लूमल रमेशचन्द द्वारा निर्माण कराया गया, दुकानात बनायी गयी, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें किरायेदार के साथ ओरियन्टल बैंक भी शामिल है, राकेश का ऊपरी मंजिल पर रिहायशी मकान बना है। इस प्रकार वादी के मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण का कब्जा प्रश्नगत आराजी पर है। डी0डब्लू0-1 द्वारा कागज संख्या 115/7-क में यह स्वीकार किया है कि झगड़े वाली जमीन पर फर्म लल्लूमल रमेशचन्द के सभी साझीदार की दुकानें बनी हैं, बैंक का भवन, दीवारें बनी हैं था सीमा रेखा बनी है। आगे कागज संख्या 115/10-क पर डी0डब्लू0-1 द्वारा यह कथित किया कि

क्रमशः

वर्तमान में विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा है। मकान, दुकान, वादीगण का बना है तथा बैंक भवन भी वादीगण का बना हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा भी अपने साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादीगण का कब्जा है। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह साबित होता है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान को जरिये बैनमा दिनांकित 28–03–1974 से सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त द्वारा कय किया गया। तत्पश्चात् वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज हुआ। यह भी साबित हो चुका है कि सत्यप्रकाश दिनांक 18–06–1961 का कब्जा राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया। फसली वर्ष 1367 में सत्यप्रकाश बतौर सीरदार 20 गुना लगान जमा करने के पश्चात् उन्हें भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो गये। भूमिधरी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 20–06–1970 को भूमि अधिगृहित अधिकारी द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बरान में से सत्यप्रकाश को मालिक मानते हुये 11 बिस्वा 10 विस्वांसी भूमि अधिगृहित की गयी और सत्यप्रकाश द्वारा उक्त नम्बरान के शेष भाग में से, जो सड़क अधिगृहण के शेष भाग में से बची थी, उसका बैनामा दिनांक 28–03–1974 को वादीगण व प्रतिवादी सं0–5 के पक्ष में निष्पादित किया गया।

36– इस प्रकार उपरोक्त विवेचना एवं साक्ष्य से यह साबित होता है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0–5 प्रश्नगत आराजी के मालिक व काबिज है। अतः वाद बिन्दु संख्या–01 सकारात्मक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–02</u>

37– वाद बिन्दु संख्या–02 इस प्रकार विरचित किया गया है कि क्या प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 वादीगण को विधि विरूद्ध तरीके से बिना विधिक प्रकिया अपनाये वादग्रस्त आराजी से जबरदस्ती बेदखल

क्रमशः

करना चाहते हैं?

38— इस सम्बन्ध में वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी सं0—3 द्वारा दिया गया नोटिस दिनांक 30—08—2013 अवैध, अनाधिकृत मनमाना एवं अस्पष्ट है और उक्त नोटिस दिये जाने से पूर्व प्रतिवादी सं0—3 व 4 ने वादीगण को अथवा प्रतिवादी सं0—5 को कोई सुनवाई का एवं अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया और न ही प्रतिवादी सं0—2 द्वारा प्रतिवादी सं0—3 व 4 को पत्र दिनांक 30—07—2013 लिखे जाने से पूर्व वादीगण व प्रतिवादी सं0—5 को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्रदान किया और प्रतिवादीगण का वादीगण एवं प्रतिवादी सं0—5 का कब्जा हटवाये जाने का नोटिस एवं धमकी पूर्ण रूप से एकपक्षीय एवं शून्य कार्यवाही है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा कथित किया गया कि वादीगण द्वारा गांटा संख्या 2181 तालाब की भूमि पर कब्जा कर लिया था, जिसे कब्जा मुक्त कराये जाने हेतु नोटिस वादीगण को दिया गया। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 20—ग/1, 20—ग/2 कागज संख्या 21/1—ग व 21/2—ग के अवलोकन से विदित होता है कि नगर पालिका परिषद, किरतपुर, जिला बिजनौर द्वारा वादीगण को गांटा संख्या 2181 तालाब की भूमि से कब्जा हटाये जाने हेतु दिनांक 13—08—2013 को जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व बिजनौर द्वारा विधिक राय प्राप्त कर नोटिस दिया गया। यद्यपि वादी का जहां तक यह कथन का प्रश्न है कि उसे प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का प्रयास किया गया, वाद बिन्दु संख्या—01 के निस्तारण से यह साबित हो चुका है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरान को जरिये बैनामा दिनांकित 28—03—1974 से सत्यप्रकाश पुत्र कृष्णदत्त से कय किया गया। तत्पश्चात् वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज हुआ। अतः ऐसी स्थिति में तदानुसार वाद बिन्दु संख्या—02 निर्णीत किया जाता है।

कमशः

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-03

39- वाद बिन्दु संख्या-03 वाद मूल्यांकन तथा प्रदत्त न्याय शुल्क के सम्बन्ध में है।

40- उपरोक्त वाद बिन्दु का निस्तारण न्यायालय द्वारा दिनांक़ 09-12-2013 को नकारात्मक रूप से किया जा चुका है, जो कि इस निर्णय का भाग रहेगा। पुनः निस्तारण की कोई आवश्यकता नहीं है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या- 04

41- वाद बिन्दु संख्या-04 इस प्रकार विरचित किया गया है कि क्या दावा वादीगण धारा-331 जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के प्राविधानों से बाधित है?

42- उपरोक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर हैं। प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रतिवादपत्र के प्रस्तर-33 में उल्लिखित किया गया कि वादीगण का वाद जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के प्राविधानों से बाधित है। इसके विपरीत वादीगण का कथन है कि वादीगण के स्वामित्व का कोई भी विवाद प्रस्तुत वाद में नहीं है, क्योंकि वादीगण रिकॉर्डेड टेन्योर होल्डर है और एक वैध बैनामे से वादग्रस्त भूमि के लगातार 39 वर्षों से स्वामी व अधिपति बतौर संक्रमणीय भूमिधर चले आते हैं। वादीगण का दावा हरगिज धारा-331 खात्मा जमींदारी अधिनियम के प्राविधानों से बाधित नहीं है। वाद बिन्दु संख्या-01 के निस्तारण में यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नगत सम्पत्ति एन.जैड.ए. के अन्तर्गत है। ऐसी स्थिति में यू0पी0 जमींदारी विनाश अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। अतः वाद बिन्दु संख्या-04 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

क्रमशः

फ. 110/11

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या– 05

43– वाद बिन्दु संख्या–05 इस प्रकार विरचित किया गया है कि क्या दावा वादी आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित है?

44– इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर हैं। प्रतिवादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में कथित किया गया है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद योजित करने का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण के उक्त कथन के विरूद्ध वादीगण द्वारा कथित किया गया कि उनको प्रतिवादीगण द्वारा गाटा संख्या 2181 से कब्जा हटाये जाने हेतु नगर पालिका परिषद, किरतपुर द्वारा नोटिस दिया गया। नोटिस दिनांकित 13–08–2013 कागज संख्या 20/1–ग व 21/1–ग के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0–4 द्वारा वादीगण को उक्त नोटिस दिया गया जिसमें गाटा संख्या 2181 को तालाब की भूमि बताया गया इसके अतिरिक्त उक्त आराजी से वादी का कब्जा हटवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। चूंकि वाद बिन्दु संख्या–01 के निस्तारण से साबित हो चुका है कि वादीगण व प्रतिवादी सं0–5 प्रश्नगत आराजी के मालिक व काबिज है। इस प्रकार वादी को वाद का कारण उत्पन्न होना पाया जाता है। तदानुसार वाद बिन्दु संख्या–05 नकारात्मक रूप से वादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु सं0–06

45– वाद–बिन्दु सं0–06 **अनुतोष** से सम्बन्धित है। उपरोक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण प्रश्नगत आराजी के मालिक व काबिज है। तदानुसार वाद बिन्दु सं0–06 निर्णीत किया जाता है।

क्रमशः

दावा वादी आज्ञप्त होने योग्य है।

आदेश

दावा वादी आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 को हमेशा के लिये निषेधित किया जाता है कि वह आराजी खसरा संख्या 2181/1 व 2 रकबई 3 बीघे 8 बिस्वांसी पुख्ता व खसरा संख्या 2182/2 रकबई 7 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता कुल रकबई 3 बीघे 15 बिस्वे 9 बिस्वांसी पुख्ता जिसका विवरण तालिका-अ में दिया गया है, स्थित ग्राम किरतपुर कस्बा व परगना किरतपुर, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-5 के स्वामित्व एवं अधिपत्य में कोई विघ्न अथवा वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-5 की दुकानात, मकानात आदि को तोडने से बाज रहे।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत पक्षकार अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Aparna Pandey 9/12/15

(अपर्णा पाण्डेय)

दिनॉक:-09-12-2015

सिविल जज, सीनियर डिवीजन,
बिजनौर

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनॉकित होकर उद्घोषित किया गया।

Aparna Pandey 9/12/15

(अपर्णा पाण्डेय)

दिनॉक:-09-12-2015

सिविल जज, सीनियर डिवीजन,
बिजनौर

9-12-15

19-12-15

ANNEXURE-7

F/N. C.A/29003027/18
CNR. No. UPBJ010026192018

न्यायालय श्रीमान जिला जज महोदय,बिजनौर
Misc Civil Case 78/2016

सिविल अपील सं0 14 /2018

1—नगर पालिका परिषद किरतपुर द्वारा अध्यक्ष नगर पालिका परिषद,किरतपुर कस्बा परगना किरतपुर तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर।

2—अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद किरतपुर कस्बा परगना किरतपुर जिला बिजनौर।

——अपीलान्ट (प्रतिवादी स0 3 व 4)

बनाम

1— रमेश चन्द गोयल पुत्र स्व0 लल्लूमल आयू —76 वर्ष नि0 मौ0 महाजनान कस्बा,परगना किरतपुर हाल नि0 द्वारा—डा0संदीप गोयल एस0डी0पुरम ,किरतपुर रोड कस्बा ,परगना तहसील बिजनौर।

2— सुरेशचन्द गोयल पुत्र स्व0 लल्लूमल आयु 62 वर्ष नि0 मौ0महाजनान कस्बा परगना किरतपुर तह0 नजीबाबाद हाल नि0कृष्णा बैंकट हाल मौ0हसनपुरा निकट बस स्टेण्ड कस्बा परगना किरतपुर तह0 नजीबाबाद जिला बिजनौर।

3— राकेश कुमार गोयल आयु 54 वर्ष पुत्र श्री बशेषचन्द गोयल नि0 मौ0 महाजनान हाल नि0 मौ0हसनपुरा निकट बस स्टैण्ड कस्बा परगना किरतपुर तह0 नजीबाबाद जिला बिजनौर।

4— राज्य सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी,बिजनौर

5— तहसीलदार नजीबाबाद जिला बिजनौर।

——रेस्पोन्डेन्ट

सिविल अपील अन्तर्गत धारा—96 तथा आदेश 1 नि0 सी0पी0सी0 बनाराजी निर्णय एंव डिकी दिनांकित 9—12—2015 अन्तर्गत मूलवाद स0 586/2013 रमेशचन्द गोयल बनाम राज्य सरकार आदि पारित द्वारा न्यायालय सिविल जज (सी0डि0)बिजनौर जिसमे मान्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा (वादीगण)रेस्पो0सं01 व 2 का वाद

अधिशासी अधिकारी

(179)

अपीलान्टस के विरुद्ध आज्ञप्त निर्णित किया गया है,से क्षुब्ध होकर निम्न आधारो पर योजित की जाती है।

अपील का मूल्यांकन –4 लाख रूपये

न्याय शुल्क रूपये 500/–रू0

अपील के आधार

1–यह कि डिकी एंव निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एंव तथ्यो **के विरुद्ध** हैं तथा रद्द होने योंग्य है।

2–यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय नें पत्रावली पर मौजूद तथ्यों एंव दस्तावेजो का सही प्रकार विश्लेषण नही किया तथा विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों का सही प्रकार से विवेचना नही किया जिस प्रकार गलत निष्कर्ष निकाला है।

3–यह कि मूल वाद में विवादित आराजी वास्तव में आधार वर्ष की खतौनी 1359 फसली के अन्तर्गत बंजर व तालाब के रूप में दर्ज है। जिसकी वास्तविक स्वामी उ0प्र0 सरकार है। तथा नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद के नियन्त्रण एंव देखभाल में है। किन्तु रेस्पो0 सं0 1 व 2 के विकेता नें रेवन्यू ऐन्ट्री बगैर किसी विधिक आधार को फर्जी रेवन्यू एन्ट्री अपने हक में करायी उक्त बेबुनियाद एन्ट्री के श्रेात को सिद्ध करने का भार वादीगण रेस्पो0 न0 1 व 2 पर था माननीय अधीनस्थ न्यायालय नें उक्त तथ्य पर विशेष गौर न करके कानून गलती की है। ज्ञात्वय है कि उक्त फर्जी एन्ट्री के आधार पर सत्यप्रकाश को प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 28.03.1974 निष्पादित करने का अधिकार नही था ना ही वादीगण को उक्त बैनामे से कोई हकूक प्राप्त हुये।

4–यह कि वादीगण को एक अधिकमणकारी हैसियत के ही अधिकार प्राप्त है। किसी भी फर्जी एन्ट्री के आधार पर वादीगण को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही हुए माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नगरपालिका गृह कर सम्बन्धी रसीदात पर विशेष ध्यान दिया गया जबकि महज गृह कर रसीद कटाने से अथवा

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका

180

निर्माण अनुमति प्राप्त करने से वादीगण को स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नही हो जाते भवन निर्माण स्वीकृति की अनिवार्य शर्त विवाद रहित स्वामित्व होती है। विवाद होने की स्थिति में भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जाती है। उक्त तथ्य पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय नें गोर न करके बडी गलती की है।

5— यह कि रेस्पो० सं० 1 व 2 वादीगण की रेवेन्यू एन्ट्री फर्जी होने के कारण उक्त सम्बन्ध में रेवेन्यू कोर्ट द्वारा घोषणा की जानी अपेक्षित है। बगैर टाइटल की घोषणा के तथा बगैर स्वामित्व तथ्य किए हुए वाद हाजा निषेधाज्ञा हरगिज पोषणीय नही है। इस बिन्दु का माननीय अधीनस्थ न्यायालय नें सही प्रकार से विश्लेषण नही किया और अपीलांटस के विरुद्व डिकी कर बडी तात्विक भूल की है।

अतः अपील मय खर्चा हरदो अदालत स्वीकार की जाकर निर्णय एंव आज्ञप्ति अधीनस्थ न्यायालय अपास्त फरमाया जाए।

दिनांक 13/5/16 — अपीलांटस

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
नगर पालिका परिषद किरतपुर आदि

13/5/16
एडवोकेट
रजि० 3263/92
सिविल कोर्ट, बिजनौर

01-5-18

न्यायालय जिला जजी बिजनौर

सि०अपील नं० 14/2018

प्रतिलिपि का प्रा०सं० ______
अधिसूचना का दि० 01-5-18
जारी करने का दि० 01-5-18

नगर पालिका परिषद किरतपुर
बनाम
क्षेमरा चन्द्र गोपल आदि

नकल सत्य प्रतिलिपि निर्णय साथ संलग्न है

1

In the Court of District Judge, Bijnor.

Present: Subhash Chand, HJS

Civil appeal no. 14/2018

1-Nagar Palika Parishad Kiratpur through Chairman, Nagatr Palika Parishad Kiratpur Pargana Kiratpur, Tehsil Najibabad District Bijnor.

2- Executive Officer Nagatr Palika Parishad Kiratpur, Pargana Kiratpur, Tehsil Najibabad District Bijnor.

--Appellants-defendants

Vs.

1-Ramesh Chand Goel s/o Lallu Mal r/o Mohalla Mahajanan, Kiratpur presently r/o through Dr. Sandeep Goel , S.D.Puram, Kiratpur road, Bijnor District Bijnor.

2/1- Akshay Goel s/o Suresh Chand Goel r/o Civil Lines-2, Bijnor. District Bijnor.

2/2- Deepti Jindal d/o Late Suresh Chand Goel, w/o Deepak Jindal r/o Buland Shahar , District Buland Shahar.

3-Rakesh Kumar Goel s/o Bashesh Chand Goel r/o Mohalla Mahajanan, presently r/o mohalla Hasanpura , Kiratpur, Tehsil Najibabad District Bijnor.

4-State of U.P. through Collector , Bijnor.

5- Tehseeldar Najibabad, District Bijnor.

---Respondents-plaintiffs

Judgment

This civil appeal is preferred on behalf of Municipal Board Kiratpur, and another against Ramesh Chand and others against the judgment and decree dated dated 9-12-2015 in O.S. No. 586/2013 Ramesh Chand Goel vs. State of U.P. and others, whereby the learned Civil Judge (SD) Bijnor decreed the suit of the plaintiffs.

28/04/18

The brief facts leading to this civil appeal are that the plaintiffs Ramesh Chand and Suresh Chand Goel filed civil suit against the State of U.P. and others for permanent prohibitory injunction.

The brief facts of O.S. No. 586/2013 are that land of Khasra no. 2181/1 and 2 area 3 Bigha, 8 Biswa Pukhta and land of Khasra no. 2182 /2 area 7 Biswa and 9 Biswansi total area 3 Bigha, 15 Biswa and 9 Bishwansi Pukhta situate in village Kiratpur Pargana Kiratpur Tehsil Najibabad District Bijnor is Bhumidhari land of plaintiffs and defendant no. 5, who are partner of Firm Lallumal Ramesh Chand , Kiratpur vide sale deed dated 28-3-1974. Smt. Chandrawat , partner of Firm Lallumal Ramesh Chand had died on 9 May 1989. On the basis of sale deed ,entries in revenue record remained in the name of partners of the Firm. The initial owner of the land was Satay Prakash Sharma s/o Krishan Durtt Sharma. Satay Prakash Sharma originally was Sirdar of Khasra no. Khasra no. 2181/1 and 2 and Khasra no. 2182/2 and he had become Bhumidhar of the same after having deposited 20 times land revenue of the same on 18-9-1970. Thereafter his name was recorded in revenue record as Bhumidhar. 11 Bishwa and 10 Bishwansi ,land of Khasra no. 2181 and 2182 was acquired by the State of U.P. and compensation for the same was paid to Satay Prakash Sharma on 2-5-1070. The defendant no. 3 is local body and defendant no. 4 is office bearer of the same. While defendant no. 2 is office bearer of defendant no. 1 State Government. Whole of the land of these khasra number are within Abadi of municipal area Kiratpur. Plaintiff and defendant no. 5 had irrected shops in the land of said Khasra numbers after having got prior permission from the Municipal Board, Kiratpur. House tax is also being paid by the plaintiffs to defendant no. 3 and 4. Defendant no. 4 on 13-8-2013 gave letter no. 285/ Municipal Board, Kiratpur 2013-14,

28/04/18

which was received to the plaintiffs on 19-8-2013, having alleged the land of Khasra no. 2181 to be the land of pond and were asked vide letter dated 30-7-2013 to remove the construction from the land of Khasra no. 2181 and in failure to comply the notice, were also threatened to evict the plaintiffs and defendant no. 5 from the same forcibly. If the defendant becomes successful in demolishing the construction raised by plaintiffs, it would cause irreparable loss to the plaintiffs. In land of aforesaid Khasra numbers, 17 shops are of the plaintiffs and defendant no. 5 and defendants no. 5 has also raised construction of 21 shops, building of bank and his residence aswell. As matter is of urgent nature, the suit is being filed without having served prior notice of two months under the provisions of Section 326(1) of Municipal Board Act and exemption of the same has been sought u/s 326(4) of Municipal Board Act. As such the plaintiffs sought relief of permanent prohibitory injunction against the defendant for restraining the defendant no. 1 to 4 not to demolish the shops and also not to make interference directly and indirectly in the land of property in dispsute detailed and described at the foot of the plaint.

On behalf of defendant no. 1 and 2 written statement paper no. 49-A is filed, in which averment of the plaint are denied in substance and in additional pleas it is stated that the plaintiffs have no cause of action against the responding defendants. Whole of the village Kiratpur is entered in Mahal Chohanan Khewat no. 103 and of Rajarai Bharat Singh s/o Rajarai Dalchand r/o Sahanpur and in Khatauni of 1347 Fasli in Khewat no.1 and in column no. 1 Khasra no. 2181 is recorded as PADAVA and pond. In Khatauni of 1359 Fasli, this land was recorded as garden and land of pond, of which actual owner is State of UP in Khatauni of 1367 Fasli of village Kiratpur in Khata no. 14 this

land is recorded as Barren land and the then Supervisor -Kanoongo had recorded the name of Satay Prakash s/o Krishan Dutt in respect of land of Khasra no. 2181/1 area 3 Bigha pukhta, Khasra no. 2181/2 area 1 Bigha Puphta, and Khara no. 2182/2 area 1-1-14. In Khatauni of 1377 - 1379 Fasli of Kiratpur in municipal area, name of Satay Prakash was recorded as Sirdar at khasra no. 2181/1 area 4 Bigha pukhta and Khasra no. 2182/2 area 1-1-14 . Said entries are forged entries . Thereafter, Satay Prakash had deposited 20 time of land revenue of the same and on 5-9-1970 his name was recorded as Bhumidhar. Name of Satay Prakash is recorded as Category no.1 as Bhumidhar in Khatauni of 1380 Fasli - 1384 Fasli. Thereafter, on 28-3-74 Firm Lallumal Ramesh Chand through its partners Ramesh, Suresh and Rakesh and Smt. Chandrawati w/o Lallumal was recorded in revenue record as Bhumidhar on the basis of sale deed. As the land of disputed property is recorded as land of pond in Khatauni of 1359 Fasli ,therefore, no right acquired to any person over said land. No notice u/s 80 of C.P.C. was served upon the responding defendant . The suit of the plaintiffs is barred by order 7 rule 11 of the C.P.C. The suit has wrongly been filed and the court fees paid is insufficient. As such the suit deserves to be dismissed.

. Written statement paper no. 62-A is filed on behalf of defendants no. 3 and 4 , in which averment of the plaint was denied in susbstance. and in additional plead, it is stated that in Khatauni of 1359 Fasli land in dispute was recorded as barren and land of pond, of which actual owner is State Government and this land is under municipal area, Kiratpur. But in revenue record, name of Sataya Prakash remained recorded . The entry of name of Sataya Prakash was forged entry. Plaintiffs had purchased the disputed land from Sataya Prakash on 28-3-

28/04/18

1974 and their names were mutated in revenue record and as such entry of the plaintiffs in revenue record is also forged entry. No right can be acquired to the plaintiffs in the land of public utility. The plaintiffs had obtained permission for raising construction after having concealed material fact. It has been avered in the plaint that 38 shops , bank and residence are in the disputed property as such valuation of the disputed property can not be less than of one Carore . In this way, court fees paid is insufficient. Legal notice was not served on the defendant. Therefore, suit of the plaintiffs deserves to be dismissed.

On behalf of defendant no. 5 Rakesh Kumar written statement paper no. A-86 is filed ,in which averments of the plaint of the plaintiff are admitted in substance and in additional pleas all the averments of the plaint have been reiterated .

Paper no. 3-A replication is filed on behalf of plaintiffs , in which averments of written statements are denied in substance and in additional plead it is stated that entries in revenue record of barren land and land of pond is against the rule of Land Record Mannual and the same is not binding upon the plaintiffs and ultimately all the averments of the plaint are vetted .

Additional Written Statement paper no. 149-A is also filed on behalf of defendant no. 1 and 2 , in which all the averments made by defendant no.1 and 2 are reiterated .

On the basis of pleadings of the parties the following issues have been framed by the learned court below-

1-Whether the plaintiff and defendant no. 5 are owner and in possession of the property detailed and described in schedule-A at the foot of the plaint ?

28/4/18

2-Whether defendant no. 1 to 4 are bent upon to evict the plaintiffs from the property in dispute forcibly without adpoting due course of law ?

3-Whether the suit is under valued and the court fees paid is insufficient ?

4-Whether the suit of the plaintiffs is barred by section 331 of the U.P. Z.A. & L.R. Act ?

5-Whether the suit of the plaintiffs is barred by Order 7 Rule 7 of C.P.C. ?

6-Whether the plaintiffs are entitled to get any relief?

The plaintiff in support of their plaint's contentions filed paper no. C-11 certified copy of sale deed executed by Satay Prakash in favour of Firm Lallumal Rameshchand dated 28-3-1974, paper no. C-13 copy of form L.A. Act relating to village Kiratpur dated 20-6-1970, paper no. C-14 copy of map Chak Tarasi of village Kiratpur, , paper no. C-1`6/1 to C-16/9 receipts issued by Nagar Palika, paper no. C-17 permission granted by Municipal Board Kiratpur for raising construction alongwith map, paper no. C-20 notice issued by Municipal Board Kiratpur , paper no. C-72 to paper no. C-78 copies of register of assessment of house tax of different years, paper no. C-80 copy of sale deed dated 30-10-1971 executed by Sataya Prakash in favour of Ismail, paper no. C-81 copy of sale deed dated 20-10-1970 executed by Sataya Prakash in favour of Vahid , paper no. C-82 copy of sale deed dated 20-10-1970 executed by Sataya Prakash in favour of Mohd. Ali , The plaintiffs also filed copies of different khatauni relating to the disputed property situated in town Kiratpur.

28/04/18

In oral evidence on behalf of plaintiffs, P.W.1 Ramesh Chand Goel has been examined.

Defendant no. 5 Rakesh Kumar in documentary evidence has filed Jot Akar Patra 40 paper no. C-105, Khatauni 1359 Fasli paper no. C-106, copy barta Khatauni of 1359 Fasli paper no. C- 107 and copy of map of land of Kiratpur paper no. C-108

Defendant no. 1 and 2 also filed per list C-39 copy of Fard Khasra of crop year 1337 paper no. 40-C/1 to 40-C/2 , copy of Fard Khatauni crop year 1359 paper no. C-41, copy of Khasra of crop year 1359 ,paper no. C-43, photostat copies of khatauni of crop year 1389 to 1392 of Khewat no. 1 paper no.C-44 to C-47, notice paper no. C-153 Khasra paper no. C-154 and Khatauni paper no. C-155.

No documentary evidence has been filed by defendant no. 3 and 4.

The defendant has examined **Suresh Chand Lekh Pal** as **D.W.1.**

Defendant no. 3 and 4 has examined **Babu Ram Tax Collector** as **D.W.2.**

The learned trial court decreed the suit of the plaintiffs on merits vide judgment dated 9-12-2015. After having been aggrieved with the impugned judgment and decree dated 9-12-2015, passed by the learned Civil Judge (SD), Bijnor this civil appeal has been preferred on behalf of Municipal Board, Kiratpur and another on the ground that the impugned judgment and decree passed by the learned trial court is against the facts and law . Learned court below had failed to appreciate the evidence on record according to law as in Khatauni of 1359 Fasli land in dispute was recorded as barren and land of pond, which is under the control of Municipal Board Kiratpur, therefore, no title or interest can be conferred to the plaintiffs by execution of sale deed dated 28-3-1974 by Sataya Prakash Sharma in favour of plainrtiffs. House tax

28/04/18

receipts and name recorded in municipal board record, can not be basis of title of the disputed land . In this case question of title is involved, therefore, no injunction should have been granted to the plaintiffs against the appellants in regard to the property in dispute. Durding pendency of the appeal, respondent no. 2 Suresh Chand Goel died and after his death his legal heirs 2/1 Akshay Goel and Smt. Deepti Jindal were substituted. As such prayed to set aside the impugned judgment and decree and to allow this civil appeal.

For disposal of this civil appeal, following points of determination are being framed-

1- Whether the plaintiffs -respondents are owner and in possession of the property in dispute ?

2- Whether the property in dispute is barren land and land of pond, if so its effect ?

Since both the points of determination are inter related and maintained on same evidence, so both are decided simultaneously ?

On behalf of appellants learned counsel contended that land of property in dispute was recorded as barren land and land of pond in revenue record in Khatauni of 1359 Fasli and being the land of public utility no right , title and interest can be accrued to the plaintiffs predecessor Sri Sataya Prakash Sharma and after execution of sale deed by Sataya Prakash Sharma in favour of plaintiffs no right, title and interest accrued to the plaintiffs. Revenue record can not be evidence of the title of any person and revenue entries , which are not as per rules, can be rebutted by other evidence and the same can not be relied upon. The entries of the name of Sataya Prakash and plaintiffs in revenue record are forged and the same can not be the basis of title of the property in disputed. In support of his contention , learned counsel of the

28/04/18

appellants relied upon the following case laws-

1- Yogendra Yadav and another vs. State of U.P. and others (Alld. H.C.), 2017(121) ALR 697.

2- Sant Bux Singh vs. J.D. Consolidation (Alld. H.C.), 1986 LCD page 216,

3- Antyoday Sewa Samiti vs. D.D.D. of consolidation Etah and others , (Alld. H.C.) 2010(110)R.D. 794.

4- Ajay Kumar Gupta vs. Smt. Usha Sharma (Alld. H.C.), 2012(94) ALR 771 .

On behalf of plaintiffs -respondents , learned counsel contended that the land of property in dispute is not governed by the provisions of U.P. Zamidari Abolition and Land Reform Act . Land in dispute is land of Non Z.A. and the same is in municipal area of Municipal Board , Kiratpur. As such provisions of U.P. Z.A. & L.R. Act are not applicable on the property in dispute. In the year 1865 Kiratpur was declared as Notified area vide notification no. 334 -A dated 17-4-1965. , which has been published in Gazettee on 24-4-1865. The land of property in dispute is governed by U.P. Urban Area Z.A. Act 1957. Defendant no. 1 and 2 also admit this fact that land of the property in dispute is governed with the provisions of U.P. Urban Area Z.A. Act 1957. D.W.1 Suresh Chand, who is Area Lekh pal and is examined on behalf of defendant also admits this fact that Satya Prakash was Sirdar of the land in dispute and later on acquired rights of Bhumidhari after having deposited 20 times land revenue and after execution of sale deed by Satya prakash Sharma, in favour of plaintiffs in the year 1974, the plaintiffs became the Bhumidhar of the same. Revenue entries made in the name of plaintiffs as well as their predecessor Sataya Prakash Sharma were made according to rule of Land Revenue Mannual. According to Section 1 of

28/04/18

U.P. Urban Area Z.A. Act 1957, the land which fall in area of municipal are and cantonment board, on 30 June 1954 shall be governed with the provisions of said Act. In revenue map, land of disputed khasra number was never shown to be barren land and land of pond. If any entry is made by Revenue Authorities subsequently, in revenue record, without any proper order, the same have no effect on the right of the plaintiff. Moreover, on behalf of defendants no documentary evidence has been filed. Only photo stat copies, have been filed and the same can not be admissible in evidence. No explanation has also been given on behalf of defendants that why the original documents were not being filed and in support of his contention relied upon the following case laws-.

1- Nagar Nigam Lucknow vs. Smt. Krishna Devi, 2014 (32) LCD 1626 of Hon'ble Allahabad High Court (Lucknow Bench).

2- Sadul Ajeej vs. District Judge Gorakhpur and others 1999 (17) LCD -1356 of Hon'ble Allahabad High Court.

Learned counsel for the respondent no.5 Rakesh Kumar contended that provisions of U.P. Zamidari Abolition and Land Reform Act are not applicable on the property in dispute Admittedly Sataya Prakash was Sirdar of the land in dispute and after depositing 20 times land revenue of the same he became Bhumidhar of the land in dispute. Khewat was the register of title in view of Sectrion 32 of the U.P. Land Revenue Act 1901. Land in disputre is governed by the provisions of U.P. Urban Area Z.A. Act 1957. The entries made in the name of plaintiffs and defendants no. 5 are in accordance with provisions of Land Revenue Manual and the same were never challenged before any competent authority by the appellant. Accordingly contended to dismiss the appeal.

On behalf of plaintiffs in oral evidence examined P.W.1

Ramesh Chand. This witness in his examination in chief deposed all the averments made in the plaint. In his cross examination this witness says that the disputed land is in Khasra no. 2181/1, 2181/2 and 2182/2. What was the nature of disputed land in Khatauni of 1359 Fasli, is not known to him. It is wrong to say that it was recorded as barren and land. of pond in 1359 Fasli. Name of Satya Prakash was recorded in revenue record as Sirdar. The land in dispute is the land of Non Z.A.. in the Municipal area of Kiratpur. land in dispute was purchased in the name of Firm from Satya Prakash in the year 1974. Satyaprakash had deposited twenty times of land revenue and became Bhumidhar of the land in dispute. He does not re-collect for how many shops he obtained permission from the Municipal Board, Kiratpur. Now 40 shops are errected in the land in dispute. Prior to year 1960, Satay Prakash was Sirdar and in the year 1970, he had become Bhumidhar of the same.

On behalf of State of U.P. (defendant no. 1 and 2) examined D.W.1 Suresh Chand . This witness in his examination in chief supported the averments of the written statement of defendant no. 1 and 2. In his cross examination, this witness says that as per record, land in dispute was in town area, Kiratpur, which is now in municipal area. Kiratpur, which is known as Non Z.A. area. He is not aware how this land came in Z.A. area, which was of Non Z.A. area. He is not aware of any such notification. He has not seen any record of 1337 Fasli to 1359 Fasli. When Urban Zamidari was abolished, he is not aware. It is correct to say that Satay Prakash had deposited twenty times land revenue and he acquired rights of Bhumidhari. This fact is not in his knowledge that any objection was filed against the order dated 15-9-1970 passed in favour of Satay Prakash. According to paper no. C-13 part land of Satya Prakash was acquired for road and compensation was paid to Satay

28/04/18

Prakash . He has seen Khatauni of 1367 Fasli, in which name of Satay Prakash is recorded as Sirdar. It is correct to say that name of plaintiffs were recorded in revenue record on the basis of sale deed dated 11-3-1974 and no objections ever raised against the same. Now shops of Firm Lallu Mal Ramesh Chand, bank accommodation and house are erected in the disputed land, of which the owners are Lallu Mal Ramesh Chand and its partners. The land in dispute was originated from Khawet No.1 of Mahal of Chauhanan, Kiratpur, Zamidar of which was Raja Rai Bharat Singh s/o Dal Chand .When Zamidari was abolished, at that time disputed land was Non Z.A. and. Zamidari of said land was abolished by Act no.8 of the year 1957.According to C.H. No. 40 land of Khasra lno. 2181and 2182 are under town area. As per paper no. C-43, which is Khatauni of 1367 Fasli and is being filed on behalf of State of U.P. name of Satay Prakash was recorded by Supervisor-Kanoongo in revenue record. It is correct to say that according to para no. 10-A of Land Record Mannual, Supervisor-Kanoongol has authority to make an entry of possession. On behalf of State of U.P. , entry made in the name of Satay Prakash was never challenged. At present, plaintiffs are in possession of the land of property in dispute.

On behalf of defendants no. 3 and 4 examined DW 2 Babu ram Tax Collector, who in his examination in chief supported the averments of the written statement filed on behalf of defendants no. 3 and 4 and in his cross examination this witness says that the disputed land come within the area of Municipal Board . Khatauni of 1359 Fasli, in which land of Gata No. 2181 is entered as land of pond, is Khatauni of Non Z.A.

Admittedly, land of property in dispute is in Municipal area, which was initially under town area , Kiratpur. On behalf of

28/04/18

plaintiffs , learned counsel while arguing his case adduced copy of Gazette-Notification . From perusal of the same, it is found that vide Notification no. 334-A dated 17-4-1865 published in Gazette on 24-4-1865 Kiratpur alongwith Nehtaur , Seohara and others of the District Bijnor were declared as Notified area, which were later on addressed as Town Area.

In view of provisions of Section 1 of U.P. Urban Area Abolition Act 1956, the land of town area Kiratpur, was governed with the Act,of U.P. Urbal AreaZamidrai Abolition Act 1956.

On behalf of plaintiffs paper no. C-11 is filed which is Khatauni of Kiratp0ur of 1377 Fasli to 1379 Fasli. From the perusal of this paper, it is found that at Khasra No. 2181/1 and 2181/2 and 2182/2 in their respective area, name of Satya Prakash S/o Krishan Dutt was recorded as Sirdar and in case no. 32/ 15-9-1970 vide order dated 15-9-1970 Bhumidhari rights were conferred to Satay Prakash with regard to the disputed land after having deposited twenty times land revenue of the same.

From perusal of Paper no. C-12, it is found that P.W.D. Bijnor for construction of Kiratpur bye pass, vide order dated 20-6-1970 of the court of L.A.O. Bijnor ,under Land Acquisition Act , part land of Khasra no. 2181/1 and 2 and Khasra no. 2182/2 was acquired for road. From the perusal of paper no. C-13, it is found that Satay Prakash was paid compensation for his acquired land alongwith other Bhumidhar.

Paper no. C-14 is map of Chak Tarasi and from perusal of the same it is found that in Khasra no. 2181 and 2182 , no mark of pond is shown.

Paper no. C-10 is certified copy of sale deed , which was

28/04/18

executed by Sataya Prakash s/o Krishan Dutt in favour of Firm Lallu Mal Ramesh Chand, whose partners are Ramesh Chand, Suresh Chand, Rakesh Chand and Smt. Chandra Wati. This sale deed was executed on 11-3-1974. This is registered sale deed and the land which is sold , is Bhumidhari land of Kiratpur of Khasra no. 2181/1, 2181/2 and 2182/2 having total area of 3 Bigha 15 Biswa and 9 Biswansi pukhta..

Paper no. C-13 is Khatauni of 1380 Fasli - 1384 Fasli . From the perusal of the same, it is found that name of Firm Lallu Mal Ramesh Chand through its partners Ramesh Chand, Suresh Chand, Rakesh Chand and Smt. Chandra wati were mutuated in place of Staya Prakash in respect of land of Khasra no. 2181/1, -2181/2 and 2182/2.

Paper no. C-11 is Khatauni of 1419 Fasli to 1424 Fasli and from perusal of this paper, it is found that the plaintiffs/respondents are recorded Bhumidhar with transferable rights of the land of 2181/1 area 0.860Hect. and land of 2182/2 area 0.095 Hect. total 0.955 Hect.This land is in Municipal area.

Paper Ino. C-19 is map of shops , sanctioned by Municipal Board Kiratpur. From the perusal of paper no. C-19/1, it is found that permission was accorded to raise construcrtion by the Executive Officer of Municipal Board Kiratpur (Bijnor.) on 18-7-2001. Likewise, paper no. C-18/1 and paper no. C-18/2 are also permission to erect the shops , given by Executive Officer of Municipal Board, Kiratpur dated 17-6-2005. Paper no. C-16/1 to C-16/9 and paper no. C-17/1 to C-17/4 are receipts of house tax imposed and realised by Nagar Pakia Parishad, Kiratpur.

Paper no. C- 78 is the Assessment Register. of Tax of

28/04/18

Municipal Board of the years 2002-2003 and 2006-2007 in which shops and rooms are shown to be constructed and name of plaintiffs are recorded as owner.

Paper no. C-105 is C.H. Form no. 40 . From the perusal of the same it is found that Khasra no. 2181 and 2182 are shown to be under town area Kiratpur.

All these documentary evidence are corroborated by P.W.1 Ramesh Chand Goel and also with evidence of defendant witness D.W.1 Suresh Chand. On behalf of defendant no. 1 to 4 State of U.P. and Nagar Palika . Parishad, Kiratpur in documentary evidence only photostat copies have been filed and no original of the same has been filed . It is settled principle of law that photostat copies are not admissible in evidnece, unless the conditions of Section 65 of the Evidence Act are fulfilled. No evidence with regard to the condition of Section 65 of the Evidence Act has been filed on behalf of defendant. However, for the sake of argument, from the perusal of paper no. C-41 , which is Khatauni of 1359 Fasli, it is found that land of Khasra no. 2182/2 is shown to be barren land and land of Khasra no. 2181/1 is shown to be the land of pond. From thorough perusal of this khatauni , it is found that no order of any competent authority is mentioned in this Khatauni.

On behalf of defendant s D.W.1 Area Lekhpal, Suresh Chand has been examined. This witness himself admits that the land in property in dispute situates in municipal area of Kiratpur, which was initially town area Kiratpur. This witness also admits that he is not aware how and by whom order land of Khasra no. 2181/1 and 2182/2 was recorded as Barren and land of pond. There is no such record with him in regard to the entry made to that effect in

28/04/18

Khatauni of 1359 Fasli. While this witness admits that initially Sataya Prakash Sharma was Seerdar of the land of property in dispute and later on he acquired Bhumidhari rights after having deposited twenty times land revenue and entries in this respect have been made by competent authority and these entries have never been challenged by the State of U.P. Lateron Satay Prakash also transferred the same to the plaintiffs by executing sale deed in the year 1974 and names of the plaintiffs were also recorded in revenue record as Bhumidhar of the same, which were never challenged by the defendants.

This fact is also admitted to the defendants/appellants that the plaintiffs-respondents after obtaining permission from Municipal Board, Kiratpur had erected shops and other construction over the disputed and and after completion of construction, house tax was levied and realised from them by the Municipal Board, Kiratpur.

From the oral and documentary evidence, available on record, it is well proved that land of property in suit, , which was initially in town area and later on came in municipal area and said land remained Non Z.A. land in consolidation proceedings-and entries in the name of Sataya Prakash remained in force and this entries were never challenged in consolidation proceedings. Later on, also the entries made by the Revenue Authority, in the name of plaintiffs and their predecessors remained intact and the same were never challenged by the defendants before the Revenue Authority or Consolidation Authority.

In rebuttal, only one Khatauni of 1359 Fasli has been filed by the appellants/defendants, in which disputed land has been recorded as land of pond and barren land, but the entries made in

28/04/18

said Khatauni are not based on any order of competent revenue authority.. How this entry came into existance, there is no explanation on behalf of defendants. As such reliance can not be placed on Khatauni of 1359 . Prior to Khatauni of 1359 Fasli , in land of aforesaid khasra number no entry of pond and barren land is found in any revenue or consolidation record, as is evident from the documentary evidence adduced on behalf of the plaintiffs/respondents.

The authorities , on which reliance has been placed by the appellants, are not applicable in the present facts and evidence adduced on behalf of parties to the suit.

In **Om Prakash vs. D.D.C. Faizabad (H.C. L.B.)** cited in **R.D. 1996 Supplementary page 354,** the Hon'ble Allahabad High Court held that entry in Khatauni made by Lekhpal without order of competent authority , no reliance can be placed.

As such from the oral and documentary evidence adduced on behalf of both the parties, the plaintiffs are found the owner and in possession of the property in dispute and said land is not barren land or land of pond. Accordingly, **both the points of determination are disposed of in favour of respondents and against the appellants.**

At the upshot of discussion I am of the view that impugned judgment and decree needs no interference and this civil appeal has no force, same deserves to be dismissed with costs.

ORDER

Civil appeal no. 14/2018 Nagar Palika Parishad and others vs. Ramesh Chand Goel and others is hereby dismissed with costs and the impugned judgment and decree are hereby confirmed.

Let the record be sent down to the learned court below

28/04/18

alongwith the copy of judgment of this Court.

Dt.28.4.2018

28/04/18
(Subhash Chand)
District Judge,
Bijnor

Judgment signed,dated and pronounced in open court today.

Dt.28-4-2018

28/04/18
(Subhash Chand)
District Judge,
Bijnor.

Compared by
01/05/2018

सत्य प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिक 01-5-18
केन्द्रीय प्रतिलिपि विभाग
जिला जजी, बिजनौर

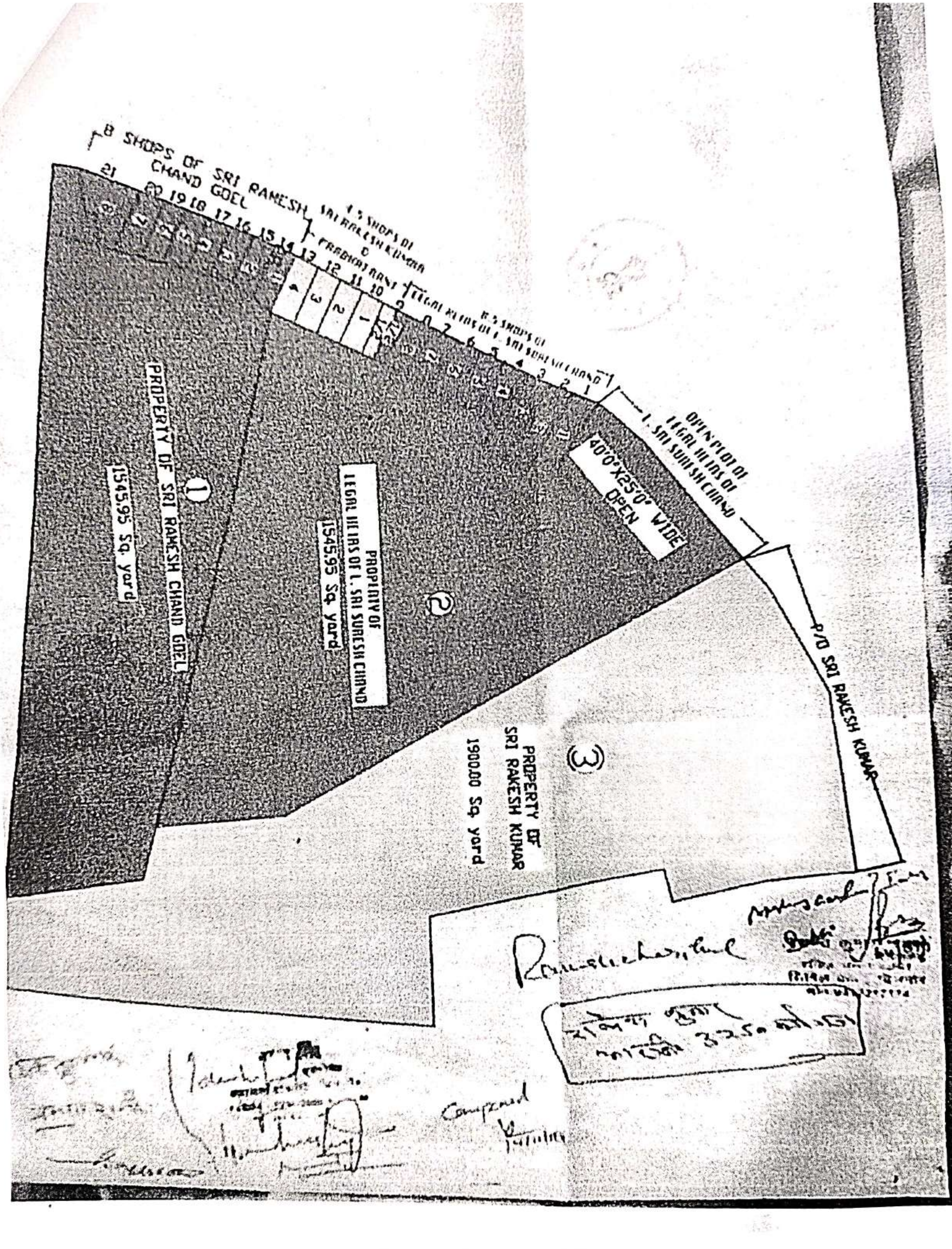
8 SHOPS OF SRI RAKESH CHAND GOEL
PROPERTY OF SRI RAKESH CHAND GOEL
1545.95 Sq. yard
PROPERTY OF LEGAL HEIRS OF L. SRI SURESH CHAND
1545.95 Sq. yard
40'0"X25'0" WIDE OPEN
OPEN PLOT OF LEGAL HEIRS OF L. SRI SURESH CHAND
P/O SRI RAKESH KUMAR
PROPERTY OF SRI RAKESH KUMAR
1900.00 Sq. yard

High Court of Judicature at Allahabad

A A- A A+

ANNEXURE-8

PENDING

Case Status - **SECOND APPEAL DEFECTIVE (SAPLD)-[330/2020]**

[Diary/Token No.:]

Generated on : 17-05-2025 at 02:17:13 pm

Filing No.	SAPL/147124/2020	Filing Date : 07-11-2020
CNR	**UPHC011369232020**	Date of Registration : 18-11-2020

Case Status

First Hearing Date	20th November 2020
Next Hearing Date	
Coram	
Bench Type	Single Bench
Causelist Type	Daily Cause List
State	UTTARPRADESH
District	BIJNOR

Petitioner/Respondent and their Advocate(s)

Petitioner	**Respondent**
1. NAGAR PALIKA PARISHAD KIRATPUR AND ANOTHER **2.** EXECUTIVE OFFICER, NAGAR PALIKA PARISHAD **Advocate -** MANU SAXENA(A/M0376/2012),SURYAPRAKASH SHARMA(A/S0810/2016)	**1.** RAMESH CHANDRA GOEL AND 6 OTHERS **2.** AKSHAY GOEL **3.** DEEPTI JINDAL **4.** STATE OF U.P. THROUGH DISTRICT MAGISTRATE **5.** TEHSILDAR, NAJIBABAD **6.** RAKESH KUMAR GOEL **7.** SURESH CHANDRA GOEL **Advocate -** KRISHNA MOHAN GARG(A/K0317/2012),JITENDRA PAL SINGH CHAUHAN(A/J0203/2012),SATYA PRAKASH CHAUBEY(A/S0587/2012)

Category Details

Category	SECOND APPEAL (300100)
Sub Category	MISC. (300190)

High Court / Lower Court Details

Case No. and Year	: Original Suit / 586 / 2013
Decision Date	: 09-12-2015
District	: BIJNOR

Disclaimer: Status report is based on data available on CCMS servers.

Page rendered in **0.0192** seconds.